नेहरू युवा केन्द्र संगठन
नियमित कार्यक्रम र्वा 2010 - 11 के लिए सामान्य निर्देश

नेहरू युवा केन्द्र संगठन के समस्त क्षेत्र के कार्यालय (जिला एवं मण्डल) कृपया सुनिश्चित करें कि :

1. समस्त जिला नेहरू युवा केन्द्र सुनिश्चित करेंगे कि युवा कार्यक्रमों के लिए जिला सलाहकार समिति नई गठित की जाय और इसमें 30 प्रतिशत सदस्य महिलायें हों । डी.ए.सी.वाई.पी. की बैठकें मार्गनिर्देशिका में दी गई सारणी के अनुसार आयोजित की जाय ।

2. युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र के कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों (सांसदों/विधायकों) और संबंद्ध महिलाओं को आमंत्रित करें और अपने जिले की डी.ए.सी.वाई.पी. की बैठकों में विशेा आमंत्रित सदस्यों के रूप में उन्हें आमंत्रित किया जाय ।

3. जिला नेहरू युवा केन्द्र द्वारा वार्िक कार्य योजना की कोई भी प्रति नेहरू युवा केन्द्र संगठन मुख्यालय न भेजी जाय । केवल मण्डल निदेशक राज्यवार समेकित मण्डल स्तरीय वार्िक कार्य योजना नेहरू युवा केन्द्र संगठन मुख्यालय को प्रस्तुत करेंगे ।

4. मण्डल निदेशक वार्िक कार्य योजना पर आधारित आवधिक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और नियमित रूप से उसकी उपलब्धियाँ के बारे में अनुवर्ती रिपोर्ट भेजेंगे । मण्डल निदेशक सुनिश्चित करेंगे कि वार्िक कार्य योजना के कुल बजट की 40% निधि दूसरी तिमाही में उपयोग में लायी जाय और 30% प्रत्येक तीसरे और चौथी तिमाही में उपयोग में लायी जाय क्योकि प्रथम तिमाही पहले ही समाप्त हो चुकी है । निधि का उपयोग करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान रखा जाय :

- कुल बजट का 30% महिलाओ के लिए निर्धारित किया जाय और तदनुसार नेहरू युवा केन्द्र संगठन के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में महिलाओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित करें ।
- कुल बजट का 20% अनुसूचित/जन जाति के लिए निर्धारित किया जाय ।
- अल्प संख्यकों को भी उपयुक्त स्थान दिया जाय ।
- जिला स्तरीय कार्यक्रमों और विशेा कार्यक्रमों में समस्त ब्लाकों और समुदायों के युवाओं का प्रतिनिधित्व हों ।

6. नियमित कार्यक्रम को किसी अन्य गतिविधि या कार्यक्रम के लिए बदला न जाय क्योंकि यह प्रतिबद्ध कार्यक्रम के घटक हैं ।

7. नियमित कार्यक्रम युवा मण्डल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाय और कार्यक्रमों के लिए भुगतान रेखांकित चैक के माध्यम से किया जाय ।

8. युवा समन्वयक ब्लाकों का चयन इस प्रकार से करें कि जिले में कार्यक्रमों का आवंटन बराबर रूप से सुनिश्चित किया जा सके । यह विगत वर्ा के चयनित ब्लाक हो भी सकते हैं या नहीं भी ।

9. यदि वियक के तौर देखें तो वर्ा के समस्त कार्यक्रम एवं गतिविधियों दैनिक कार्यवाई की बजाय मिशन के तौर पर आयोजित की जाय ।

10. युवा मण्डलों के बीच कार्यक्रमों का आवंटन इस प्रकार किया जाय कि किसी भी युवा मण्डल को एक से अधिक कार्यक्रम न दिया जाय । प्रत्येक कार्यक्रम में युवा महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के युवाओं की प्रतिभागिता पर जोर दिया जाय ।

11. वास्तविक एवं वित्त के निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर मासिक प्रगति रिपोर्ट में उपलब्धियों दर्शायी जाय ।

12. मासिक प्रगति रिपोर्ट नीचे दी गई समय सूची के अनुसार प्रस्तुत की जाय :

जिला नेहरू युवा केन्द्र द्वारा मण्डल कार्यालय को	- प्रत्येक माह की 5 तारीख
मण्डल कार्यालय द्वारा ने.यु.के.सं. मुख्यालय को	- प्रत्येक माह 12 तारीख

मण्डल कार्यालय द्वारा समेकित मा.प्र.रि./ति.प्र.रि./छ.प्र.रि./वा.प्र.रि. निर्धारित प्रपत्र में भर कर मुख्यालय में श्री एम.पी. शर्मा, सहायक निदेशक (कार्यक्रम) को डाक एवं ईमेल द्वारा regularprogramme@gmail.com या mpsharmanyks@yahoo.co.in पर भेजी जाय ।

13. प्रत्येक नेहरू युवा केन्द्र से अपेक्षा की जाती है कि वह जिला प्रोफाइल जिसमें राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजनायें एवं कार्यक्रम दिये जाते हैं इसके अतिरिक्त जिला व्यवसायिक एवं कृि मार्गदर्शन मेनुअल तैयार करें । मेनुअल को जिले के समस्त युवा मण्डलों को परिचालित किया जाय और इसकी एक प्रति मण्डल कार्यालय को प्रेिति की जाय । वर्ा 2010 - 11 मार्गनिर्देशिका के अनुसार जिला नेहरू युवा केन्द्र जिला प्रोफाइल तैयार करेंगे जो कि अगस्त, 2010 तक अद्यतन हो जाना चाहिए ।

14. जिला युवा समन्वयक किसी एक कार्यक्रम की बचत को किसी अन्य नियमित कार्यक्रम में उपयोग करने के लिए मण्डल निदेशक से पूर्वानुमति प्राप्त करेंगे । निधि के पुर्नविनियोजन के लिए अनुरोध पत्र के साथ कारण एवं प्रस्तावित गतिविधि का विवरण भी भेजा जाय ।

15. जिला एवं राज्य स्तर पर युवाओं और इसके साथ - साथ युवा मण्डल पुरस्कार के लिए समय सीमा का कड़ाई से अनुपालन किया जाय ।

16. कार्यक्रमों का औचित्य रूप से प्रबोधन एवं मूल्यांकन गुणात्मकता के साथ - साथ गुणवत्ता के आधार पर किया जाय ।

17. जिला नेहरू युवा केन्द्र अपनी मा.प्र.रि./ति.प्र.रि./वा.प्र.रि. अपने मण्डल कार्यालय को भेजेंगे मुख्यालय को नहीं ।

18. सहयोगी/समन्वय कार्यक्रमों के अर्न्तगत अन्य संस्थाओं द्वारा एकत्रित /प्राप्त निधि के बारे में मासिक प्रगति रिपोर्ट में स्पट रूप से बतायेंगे ।

19. युवा मण्डलों को अपनी वार्गिक कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करें जिसमें वह उन कार्यक्रमों का विवरण दे जिनको वह अपने संसाधन के माध्यम से आयोजित कर सकते हों । युवा मण्डल योग शारिरिक व्यायाम, नागरिक रक्षा और अपदाओं को कम करने के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं । यह कार्य एन.वाई.सी. स्वयं सेवकों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है ।

20. लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य प्राथमिकता के आधार पर करें ।

ए. गैर पंजीकृत युवा मण्डलों का पंजीकरण कराना ।

बी. सामुदायिक विकासात्मक गतिविधियों के लिए युवा मण्डलों /आर.एस.सी. /वाई.डी.सी./ आर.आई.टी.वाई.डी.सी. को परियोजना तैयार करने और निधि एकत्रित करने के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता करें ।

सी. विभिन्न महत्वपूर्ण राट्रीय एवं अन्तर्राट्रीय दिवसों के आयोजन के समय गांव एवं आस पास के क्षेत्रों में समुदायिक संबंधित संदेशों के प्रचार - प्रसार के लिए युवा मण्डलों के सदस्यों को सुविधादाता एवं पीयर प्रशिक्षक के रूप में तैयार करें ।

21. प्रत्येक कार्यक्रम के सम्पन्न होने के पश्चात केन्द्र उस कार्यक्रम के लिए खोली गई फाईल में पूरा रिकार्ड रखेगा । उदाहरण के लिए ‘‘कार्य शिविर’’ की फाईल में उस र्वा के दौरान जिले में आयोजित समस्त कार्यशिविरों का रिकार्ड रखेंगे । रिकार्ड के रख रखाव में निम्नलिखित शामिल है

i. युवा मण्डल के साथ पहली बैठक (जहां कार्यक्रम आयोजित किया जाना है) जिसमें युवा समन्वयक कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त में बतायेंगे और कार्यक्रम के आयोजन के लिए उपसमितियों का गठन करेंगे ।
ii. कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पास के युवा मण्डल के सदस्यों को सूचित एवं आमंत्रित करने के लिए भेजे गये परिपत्र /पत्र की प्रति ।
iii. कार्यक्रम का विवरण और अनुसूची जिसमें कार्यक्रम के सत्र /कक्षाओं /स्थान एवं सुप्रचालन प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई हो ।
iv. कार्यक्रम के मुद्रित प्रपत्र की प्रति ।
v. पता एवं फोन न0 सहित प्रतिभागियों की सूची जिसे प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो ।

vi. प्रत्येक प्रतिभागी के हस्ताक्षर सहित दैनिक उपस्थिति ।

vii. कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट (एस.यू.टी.पी.के मामले में मासिक रिपोर्ट) और कार्यक्रम के अयोजन के वास्तविक तिथि । यदि इसमें कोई विविधता तो उसका कारण ही रिकार्ड में लिखा जाय ।

viii. युवा मण्डल की आम सभा की बैठक के कार्यवृत्तों के हस्ताक्षरित प्रति जिसमें कार्यक्रम के व्यय एवं लेखों के विवरण को पास किया गया हो ।

ix. युवा मण्डल की आम सभा में पास किये गये लेखों के विवरण की एक प्रति ।

x. कार्यक्रम की मूल्यांकन रिपोर्ट ।

xi. कार्यक्रम की प्रेस कवरेज, क्लीपिंग एवं फोटोग्राफ।

xii केन्द्र एवं नेहरू युवा केन्द्र संगठन के उच्च अधिकारियों, जिला प्रशासन अन्य सरकारी/गैर सरकारी विभागों, संस्थाओं, युवा मण्डलों आदि के साथ हुये पत्राचार, पत्रों/परिपत्रों की प्रतियो ।

मण्डल निदेशक कृपया अपने प्रत्येक दौरे के दौरान इन फाईलों का सत्यापन/निरीक्षण करें और अपनी टिप्पणी रिकार्ड में लिखें । पाई गई उपलब्धियों /कमियों की ओर ध्यानाकर्षित करें और अपने उच्च अधिकारियों को इस संबंध में सूचित करें ।

नियमित कार्यक्रम - विवरण

भाग - I : युवा मण्डल कार्यक्रम

1. युवा मण्डल सम्पर्क एवं फीडबैक कार्यक्रम

उद्देश्य

- युवा मण्डल का नया डाटाबेस (इलेक्ट्रोनिक एवं वास्तविक रिकार्ड) तैयार करना ।
- युवा मण्डलों का स्थिति विशलेाण तैयार करना ।
- केवल सक्रिय युवा मण्डलों के लिए कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की योजना तैयार करना ।

कार्यक्रम में निम्नलिखित तथ्य एवं घटक होंगे ।

युवा मण्डल सर्वेक्षण प्रपत्र

- प्रत्येक मुद्रित प्रपत्र के प्रत्येक पृठ पर क्रम संख्या दी जाएगी।
- मंडल कार्यालय द्वारा 25 मई 2010 तक सूचित किये जाने पर प्रत्येक केन्द्र को अपेक्षित संख्या में प्रपत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
- केन्द्र स्तर पर जिला युवा समन्वयक युवा मंडलो की प्रविटि रजिस्टर में करेंगे और एन.वाई.सी. स्वयं सेवको को उचित संख्या में प्रतियाँ आबंटित करेंगे (यह ब्लाक विशेा के युवा मंडलों की संख्या पर निर्भर करता है)
- यदि किसी मामले में प्रपत्र किसी गलती के कारण या अन्य किसी कारण से बेकार हो जाता है तो एन.वाई.सी. स्वयं सेवक उस प्रपत्र विशेा (संख्या) को केन्द्र को लौटा कर नया प्रपत्र प्राप्त करेंगे। इस नए प्रपत्र की प्रविटि भी रजिस्टर में की जाएगी । रद्द हुए प्रपत्र को केन्द्र में सुरक्षित रखा जाएगा ।

युवा मण्डल सर्वेक्षण की अवधि - 20 जून से 15 सितम्बर, 2010

प्रचालन रणनीति

1. अधिकारियों के लिए राज्य स्तरीय अभिमुखी कार्यक्रम (20 मई, 2010 तक)

- मण्डल निदेशकों, उपनिदेशकों और जिला युवा समन्वयकों (लेखालिपिक - सह - टंकक - जहां जिला युवा समन्वयक का अतिरिक्त कार्यभार है) के लिए एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा ।

2. एन.वाई.सी. स्वयं सेवकों के रूप में तैनात भूतपूर्व राट्रीय सेवा कर्मियों के लिए क्षेत्र स्तरीय अभिमुखी कार्यक्रम (15 मई से 20 मई 2010)

नेयुकेसं के अधिकारियों राज्य स्तरीय अभिमुखी कार्यक्रम के पश्चात एन.वाई.सी. स्वयं सेवकों के लिए क्षेत्र स्तरीय दो दिवसीय अभिमुखी कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा । अभिमुखी कार्यक्रम के इन 2 दिनों के दौरान कार्यक्रम निम्नलिखित प्रकार से होंगे ।

1. पहले दिन एन.वाई.सी. स्वयं सेवकों को युवा मण्डल सम्पर्क कार्यक्रम इसकी प्रचालन योजना और प्रपत्र भरने के लिए मार्गनिर्देशिका के बारे में जानकारी दी जायेगी ।
2. दूसरे दिन क्षेत्र दौरे पर प्रकाश डाला जायेगा ।
   - जहां अभिमुखी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उस आयोजक केन्द्र के जिला युवा समन्वयक एन.वाई.सी. स्वयं सेवकों का एक दल बनायेंगे जिसके प्रमुख आयोजक केन्द्र के एन.वाई.सी. स्वयं सेवक होगें और अन्य एन.वाई.सी. स्वयं सेवक प्रतिभागी केन्द्र से होंगे ।
   - प्रत्येक दल (इसमें संख्या 8 से 10 एन.वाई.सी. स्वयं सेवकों से अधिक नहीं होनी चाहिए) को युवा मण्डल आवंटित किये जायेगें । यह दल युवा मण्डलों का दौरा करेंगे और प्रपत्र को पूरी तरह से भरकर लायेंगे । प्रपत्र को भरने संबंधी यदि कोई बाधा आती है तो प्रशिक्षण केन्द्र में लौटने पर उस पर चर्चा की जायेगी ।

3. एन.वाई.सी. स्वयं सेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 जून से 10 जून, 2010

एन.वाई.सी. स्वयं सेवकों के आगमन प्रशिक्षण (आवासीय) के दौरान 10 दिन केवल युवा मण्डल की सक्रियता और इसके निरन्तरता के लिए रखे जायेंगे इसमें युवा मण्डल सम्पर्क कार्यक्रम के विशे कार्य क्षेत्र भी शामिल हैं । मोड्यूल के घटक के बारे में नेहरू युवा केन्द्र संगठन मुख्यालय के एन.वाई.सी. अनुभाग द्वारा अलग से प्रेति किये जायेगें ।

कार्यान्वयन योजना

युवा मण्डलों के सर्वेक्षण का कार्य एन.वाई.सी. स्वयं सेवकों (नये तैनात एन.वाई.सी. और भूत पूर्व रा-ट्रीय सेवा कर्मी जिन्हें एन.वाई.सी. के रूप में तैनात किया गया है) स्वयं सेवकों द्वारा 20 जून से 15 सितम्बर, 2010 तक किया जायेगा । कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाय ।

- जिला युवा समन्वयक एन.वाई.सी. स्वयं सेवकों को दौरा किये जाने वाले युवा मण्डलों की सूची और इसके साथ - साथ अध्यक्ष एवं महासचिव का नाम एवं सम्पर्क विवरण प्रत्येक एन.वाई.सी. को उपलब्ध करायेंगे ।
- पंचायत स्तरीय विवरण के साथ जिले का जनसंख्याकीय प्रोफाईल की एक प्रति (या तो बेवसाईट से या जनसांख्यकीय विभाग से प्राप्त करें)

- ग्रामीण खेल मण्डलों (आर.एस.सी.) , युवा विकास केन्द्र (वाई.डी.सी.) , ग्रामीण सूचना तकनीकी युवा विकास केन्द्र (आर.आई.टी.वाई.डी.सी.) और वित्तीय प्रोत्साहन के लाभार्थियों की सूची ।
- एन.वाई.सी. स्वयं सेवकों के साथ बैठकों के दौरान जिला युवा समन्वयक युवा मण्डल सम्पर्क एवं फीडबैक कार्यक्रम की प्रचालन योजना और समय अनुसूची पर चर्चा करेंगे और तैयार करेंगे ।
- जिला युवा समन्वयक प्रत्येक एन.वाई.सी. स्वयं सेवक को युवा मण्डलों के सर्वेक्षण के कार्य के लिए न्यूनतम लक्ष्य लिखित में निर्धारित करके देंगे ।
- जिला नेहरू युवा केन्द्र के सामान्य दौरे के दौरान (15 सितम्बर, 2010 तक) मण्डल निदेशक एवं उपनिदेशक युवा मण्डल सम्पर्क कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर विशेा रूप से ध्यान देंगे । वह एन.वाई.सी. स्वयं सेवकों के गांवों की और संबंधित युवा मण्डलों के दौरे और इसके साथ - साथ युवा मण्डल सूचना प्रपत्रों के भरने पर फीडबैक की बीच - बीच में जांच भी करेंगे ।
- प्रत्येक एन.वाई.सी. स्वयं सेवक का एक दिन में केवल एक गांव को कवर करेगा । गांव में एक या अधिक युवा मण्डल हो सकते हैं ।
- एन.वाई.सी. स्वयं सेवक 15 दिन में एक बार अपने संबंधित केन्द्र को भरे हुये प्रपत्र (सही रूप से छटाई और जांच करने के पश्चात) जमा करेंगे । प्रपत्र जमा करने का समय सूची मार्गनिर्देशिका में दी गई है ।

भरे हुये प्रपत्रों पर कार्रवाई

यह एन.वाई.सी. स्वयं सेवक द्वारा जमा कराये गये भरे हुये प्रपत्रों की विस्तृत रूप से छटायी /जांच करने के तत्पश्चात युवा समन्वयक इन प्रपत्रों को प्रत्येक माह की 15 से 30 तारीख तक नेयुकेसं मुख्यालय को अग्रसारित करेंगे जिससे कि इन प्रपत्रों की डाटा प्रविटि साथ - साथ की जा सके । युवा मण्डलों की सम्पूर्ण सूची जो कि मुख्यालय को भेजी गई है वह सूचनार्थ संबंधित मण्डल कार्यालय को भी भेजी जायेगी ।

एन.वाई.सी. स्वयं सेवकों को प्रोत्साहन

युवा मण्डल सम्पर्क कार्यक्रम के कार्य को पूरा करने और एन.वाई.सी. स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें मासिक मानदेय के अलावा निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी ।

- प्रत्येक एन.वाई.सी. स्वयं सेवक जो 20 युवा मण्डलों का सर्वेक्षण कार्य पूरा करेंगे और जिला युवा समन्वयक द्वारा दिये गये लक्ष्यों को 100% प्राप्त करने पर उन्हें रूपये 250/- का भुगतान किया जायेगा ।

या

- प्रत्येक एन.वाई.सी. स्वयं सेवक जो युवा समन्वयक द्वारा दिये गये लक्ष्य के अनुसार 30 से 75 युवा मण्डलों का सर्वेक्षण कार्य पूरा करेंगे । उन्हें रूपये 500/- का भुगतान किया जायेगा ।

या

- प्रत्येक एन.वाई.सी. स्वयं सेवक जो जिला युवा समन्वयक के द्वारा दिये गये लक्ष्य के अनुसार 75 से अधिक युवा मण्डलों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा करेंगे उन्हें रू. 750/- का भुगतान किया जायेगा ।

नोट - 1. एक स्वयं सेवक का उपर बतायी गई किसी एक श्रेणी में ही चयन किया जायेगा ।
2. प्रत्येक जिला युवा समन्वयक द्वारा लिखित प्रत्येक एन.वाई.सी. स्वयं सेवक के लिए न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित करना होगा ।

बजट अनुमान

क्रम सं.	विवरण	प्रति व्यक्ति बजट	संबंद्ध संस्था	बजट (रू. में)	कुल बजट (रू. में)
1.	म.नि./उ.नि/जि.यु.सं. एवं ले.लि.टं. का अभिमुखी कार्यक्रम	प्रति व्यक्ति 200 (28 म.नि., 43 उ.नि., 501 जि.यु.सं./ले.लि.ट.	मण्डल कार्यालय	200 प्रति व्यक्ति	1,14,400.00
2	एन वाई सी स्वयं सेवको का क्षेत्र स्तरीय दो दिन का अभिमुखी कार्यक्रम (चरण - I)	500 प्रति व्यक्ति x 1200 एन.वाई. सी. स्वयं सेवक	नेहरू युवा केन्द्र	500 प्रति व्यक्ति	6,00,000.00
3	केन्द्र में भरे हुए प्रपत्रों की फोटोकापी और आकस्मिक व्यय	5000.00	नेहरू युवा केन्द्र	5000.00	25,05,000.00
4.	डाक प्रभार	1000.00	नेहरू युवा केन्द्र संगठन	1000.00	5,01,000.00
5.	मंडल स्तर पर आकस्मिक व्यय	उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात		11 x 10,000	1,10,000.00
		झारखण्ड, केरल, मणिपुर, नागालैण्ड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, मिजोरम, मेघालय, जम्मु एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं हरियाणा, असम, अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं देहरादून		17 x 5,000	85,000.00
6.	एन.वाई.सी. स्वयं सेवकों को प्रोत्साहन				30,00,000.00
7.	सापटवेयर डिजाइन		बाहरी स्रोत से		50,000.00

8.	3 लाख प्रपत्रों का मुद्रण				6,00,000.00
9.	प्रपत्रों को भरना	प्रति प्रपत्र रू. 5/-	बाहरी स्रोत से		15,00,000.00
10.	आकस्मिक				9,34,600.00
कुल					**1,00,00,000.00**

2. योजना एवं समीक्षा के लिए युवा नेताओं की बैठकें ।

उद्देश्य

- आवश्यकता आने पर विभिन्न कार्यक्रमों के लिए युवा नेताओं को योजना तैयार करने के योग्य बनाना ।
- आकस्मिकता को ध्यान में रखते हुये उन्हें रणनीति तैयार करने और चल रही गतिविधियां में बीच में संशोधन करने के लिए समीक्षा की ।

कार्यक्रम की वियवस्तु :

- जरूरत पड़ने पर कार्यान्वयन हेतु आपातकालीन योजना एवं रणनीति।
- माइक्रो प्लान तैयार करना।
- प्रस्तावित गतिविधियों की वरीयता तय करना।
- युवा मंडलों की वर्ष पर्यंत चलने वाली गतिविधियों की सूची तैयार करना।

संचालन का विवरणः

- यह युवा समन्वयक का विशेषाधिकार होगा कि वह जरूरत के अनुसार इन बैठकों को बुलाये।

बैठक की अवधि : 01 दिन

प्रत्येक बैठक में प्रतिभागियों की संख्याः 50

बजट आबंटन:

प्रखण्ड सहित जिले	बैठकों की संख्या	बजट	टिप्पणी
0 - 5	कम से कम 3	6,000.00	इस बजट का आबंटन रा.से.क./रा.यु.सा./युवा नेताओं की बैठकों के व्यय के लिए किया गया है ।
6 - 14	कम से कम 5	10,000.00	
15 या उससे अधिक	कम से कम 8	16,000.00	

3 युवा मण्डल आदान–प्रदान कार्यक्रम (वाई.सी.ई.पी.)

पृठभूमि

नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा आरम्भ किये गये विकासात्मक कार्यों में युवा मण्डल मुख्य रूप से उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन युवा मण्डलों के क्षमता निर्माण के लिए इनके कार्यक्रमों को मुख्य धारा से जोड़कर युवा मण्डलों को मजबूती प्रदान कर रहा है। युवा मण्डल पुरस्कार, युवा मण्डलों को वित्तीय सहायता, इसके सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम तथा अन्य कई कार्यक्रम, इनको सहयोग देने तथा मजबूती प्रदान करने के लिए है इसके अतिरिक्त उनके कौशल के पहचान के लिए और उनके द्वारा उनके समुदाय/गॉव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु उनको प्रशिक्षण देने के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा युवा मण्डलों का नेटवर्क तैयार किया गया है जिन्होंने आवश्यकता के समय सदैव आगे बढ़कर कार्य किया है चाहे वह उड़ीसा का चक्रवात हो, चाहे भुज और जम्मू–कश्मीर का भूकंप या 1857 की याद में वलौर मार्च ही क्यों न हो।

इस पृठभूमि में नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा देश के 501 जिलों में स्थापित समस्त युवा मण्डलों एवं महिला मण्डलों के लिए युवा मण्डल आदान–प्रदान कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। वाई.सी.ई.पी. कार्यक्रम केवल चयनित महिला मण्डलों के सदस्यों के लिए भी आयोजित किया जा सकता है।

उद्देश्य

- शांति एवं विकास के लिए अपने चारों ओर परिवर्तन लाने के लिए युवा मण्डलों तथा सामुदायिक आधारित संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में प्रतिभागियों को बताना।
- प्रतिभागियों को देश के विभिन्न भागों के गॉवों में रह रहे लोगों के रहन–सहन के तरीके, उनके दैनिक जीवन, परंपराओं तथा रीति–रिवाजों के बारे में जानकारी देना।
- प्रतिभागियों के अपने गॉवों के विकास तथा प्रगति के लिए कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा देश/समूहद्रोही तत्वों से दूरी बनाये रखने के लिए जागरूक करना।
- प्रतिभागियों में राट्रीयता , भाई–चारे तथा दोस्ती की भावना को जागृत करना तथा देश के विभिन्न भागों में चल रही धर्मनिरपेक्ष परंपराओं के प्रति आदर की भावना को विकसित करना।

युवा मण्डलों के बीच यह आदान–प्रदान कार्यक्रम जोकि बहुत दूर के राज्यों के नहीं हैं (सांस्कृतिक सामीप्यता के लिए)। यह उनकी उत्साह वर्धक गतिविधियों से उनमें सुधार लाता है और उनके आत्म विश्वास को जागृत करता है ।

कार्यान्वयन रणनीति

- युवा मण्डलों के साथ दस दिवसीय कार्यक्रम
- इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन नेहरू युवा केन्द्र संगठन के देश के 501 जिलों में गठित देशव्यापी नेटवर्क जिसमें कमोवेश 3.00 लाख से अधिक ग्राम आधारित युवा मण्डल एवं महिला मण्डल हैं, पर निर्भर करता है।

- प्रत्येक युवा मेहमान के लिए, 20 पुरूष और महिला संरक्षक समान अनुपात में होने चाहिए, जिनका चयन मेजबान युवा मण्डल द्वारा किया जायेगा जिससे की प्रत्येक युवा के प्रति दस दिवसीय वाई.सी.ई.पी. कार्यक्रम के दौरान व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जा सकेगा।
- एक दिवसीय अभिमुखीकी कार्यक्रम और आपसी तालमेल संबंधी गतिविधियों और सदस्यों के साथ सामान्य वार्तालाप और मेजबान गॉवों की समस्त बस्तियों और मौहल्लों का दौरा कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा ।
- दौरा करने आये युवा मण्डल को मेजबान अपने रिकॉर्ड, वार्षिक प्रगति रिर्पोटें, लेखा पुस्तके, बैठकों के कार्यवृत्त तथा अन्य दस्तावेज दिखायेंगे।
- वाई.सी.ई.पी. के 10 दिनों के दौरान मेजबान युवा मण्डल संध्या के समय खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे और अपने मेहमान आगंतुकों को उनके द्वारा चलायी जा रही विविध सामुदायिक विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं में भी शामिल करेंगे जैसे वृक्षा रोपण, कार्यशिविर, गांव का सफाई अभियान आदि ।
- पी.आर.ए. गतिविधि के माध्यम से मेहमान मण्डल के सदस्यों को गॉव के इतिहास के बारे में और युवा मण्डल की प्रगति इसके साथ–साथ उसकी दिनचर्या, स्वय सहायता समूहों, ऑगनवाडी केन्द्र, स्कूल, कॉलेज, प्राथमिक सहायता केन्द्र आदि के बारे में जानकारी दी जायेगी।
- पी.आर.ए. गतिविधि तीसरे दिन आयोजित की जायेगी जिसमें गॉव का संसाधन चित्रण किया जायेगा – इसमें दौरे के लिए आये युवा मण्डल और मेजबान युवा मण्डल की एक मिश्रित कार्यवाही होगी, जिसमें वे अपनी अपनी समस्याओं और युवाओं को मजबूती देने के वियों पर बात करेंगे (एस. डबल्यू ओ.टी. सर्वेक्षण) – यह कार्य वे एक सुप्रसिद्ध गैर सरकारी संगठन या संस्थान के किसी विख्यात संदर्भ व्यक्ति के मार्गनिर्देशन में करेंगे।
- संसाधनों के चित्रण और पी.आर.ए. मिश्रित और स्थानीय आवश्यकता पर आधारित स्व सहायक गॉव की वार्षिक योजना तैयार करने के लिए आपसी विचार विमर्श सत्र आयोजित किया जायेगा।
- गॉव के बुजुर्गों और नेताओं के साथ पी.आर.आई. के साथ संसाधन चित्रण, पी.आर.ए. और वार्षिक योजना पर चर्चा हेतु विचार विमर्श सत्र आयोजित किया जायेगा।
- इसके अतिरिक्त इन दस दिनों में गॉव में आवास के दौरान मेजबान युवा मण्डल द्वारा समस्त 45 प्रतिभागियों एवं (संरक्षकों सहित) के लिए दो दिवसीय स्थानीय दौरा कार्यक्रम एक दौरा कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण स्थानों को दिखाया जायेगा, जिसमें प्रसिद्ध चर्च, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारों ऐतिहासिक स्थानों और पर्यटन स्थलों, शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी स्थानों का दौरा करवाया जायेगा।

कार्यक्रम की वास्तविक अवधि : 10 दिन यात्रा अवधि के अलावा
वाई.ई.सी. कार्यक्रमों की कुल संख्या : 251
युवा मण्डल सदस्यों की कुल संख्या : 5020

बजट :

क्रम सं.	विवरण	राशि (रू. में)
1.	सक्रिय युवा मण्डल के 19 सदस्यों और 1 समूह नेता या भूतपूर्व राट्रीय सेवा कर्मी के लिए रूपये 1000/- प्रति व्यक्ति की दर से टी.ए.	20,000.00
2.	भोजन एवं आवास के लिए 20 व्यक्तियों के समूह के लिए गांव में आवास के दौरान रूपये 150/– की दर प्रति व्यक्ति प्रति दिन x 10 दिन के लिए मेजबान युवा मण्डल को को दिया जाय।	30,000.00
3.	रूपये 200/– की दर से प्रति व्यक्ति x 15 + 8 मेजबान मण्डल के कार्यकर्ताओं के लिए कंधे पर लटकाने वाला बैक, पेन, पेड, मच्छरों को दूर भगाने वाली क्रीम, छोटा तौलिया, पानी की बोतल, साबुन आदि के लिए	4600.00
4.	विविध व्यय	15,000.00
	कुल	69,600.00

4. **युवा मण्डलों को सहायता अनुदान**

पृठभूमि – सामुदायिक विकास के लिए युवा मण्डलों/युवती मण्डलों की स्वैच्छिक सेवाओं को मान्यता देने के लिए ए.ओ.वाई.सी., एफ.ए.वाई.सी., आर.ए.सी., वाइ.डी.सी. एवं आर.ई.टी.वाई.डी.सी. योजना के अर्न्तगत युवा मण्डलों को अनुदान सहायता कार्यक्रम को इस वर्ा भी जारी रखा गया है, जबकि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने इन योजनाओं को नेयुकेसं की योजनाओं में जोड़ दिया है।

उद्देश्य विगत वर्ा की योजना के समान ही रहेंगे।

बजट : रूपये 2,65,96,000.00

प्रचालन योजना : योजना के नियमों के अनुसार पात्र युवा मण्डलों को अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। वर्तमान समय की आवश्यकता और लागत मूल्य को ध्यान के रखते हुए वाई.डी.सी. योजना के अन्तर्गत युवा मण्डल कम्प्यूटर खरीद सकते हैं। इच्छुक युवा मण्डल शेा राशि में योगदान दे सकते हैं।

भाग – II युवाओं का क्षमता निर्माण

5 युवाओं का क्षमता निर्माण

कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना है।

जिला युवा समन्वयक स्थानीय आवश्यकताओं और युवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्रस्ताव तैयार करेंगे और इसे सम्बन्धित मण्डल निदेशक द्वारा अनुमोदित करायेंगे।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में प्रशिक्षण के माध्यम से नेतृत्व विकास के गुणों को विकसित करना है, जिससे की वे अपने क्षेत्र की गतिविधियों में जानकारी के प्रचार–प्रसार हेतु मुख्य केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य कर सकें और उन्हें सरकार और अन्य विकासात्मक विभागों/एजेन्सियों की युवाओं के विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करना है।

अवधि और कार्यक्रमों की संख्या

कार्यक्रम की अवधि 3 से 5 दिन हो सकती है। यह आवश्यकता /प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दी गई अवधि पर निर्भर करता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या तथा आयोजन के लिए प्रस्ताव केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किया जाये। इसका अनुमोदन सम्बन्धित मण्डल निदेशक द्वारा प्रदान किया जायेगा।

प्रतिभागियों की संख्या

इसका लक्ष्य इस प्रकार होगा कि कार्यक्रम के पश्चात कौशल और जानकारी **न्यूनतम 110 युवा स्वयंसेवकों** से कम नहीं होनी चाहिए। यह स्वयंसेवक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे।

प्रतिभागियों के नामांकन के लिए पात्रता

जिला युवा समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिभागी या तो युवा मण्डल के सदस्य होने चाहिए या केन्द्र के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से प्रतिभागी होने चाहिए।

अनिवार्यता

प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसे संस्थान में आयोजित किया जाये कि जहा पर इन हाउस/आवासीय प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध हो।

आयोजक संस्थान से विषय विशेाज्ञों के अतिरिक्त युवा समन्वयक बाहर से सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के विशेाज्ञों को भी आमन्त्रित कर सकते हैं। उचित मानदेय भी बाहर के विशेाज्ञों को दिया जा सकता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राकृतिक रूप से आवासीय होना चाहिए और प्रशिक्षण देने वाले संस्थान के पास व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए अपेक्षित ढ़ॉचा और सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए।

पंजीकरण और प्रशिक्षण सामग्री

युवा समन्वयक सुनिश्चित करें कि प्रथम पंजीकरण के अलावा प्रतिभागियों को किट, बैग, दैनिक कार्यक्रम और प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाये।

प्रतिभागियों का प्रबोधन, मूल्यांकन एवं फीडबैक

प्रशिक्षण, प्रबोधन और मूल्यांकन पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक है और यह कार्यान्वयन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। यह कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आयोजित की जाने वाली समस्त गतिविधियों के लिए सम्बन्धित जिला युवा समन्वयक द्वारा किया जाये। कार्यक्रम से पूर्व एवं बाद में मूल्याकंन किया जाये। इससे सही प्रकार से कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा और इससे लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

कार्यक्रम सम्पन्न होने के पश्चात मूल्यांकन एवं फीडबैक सत्र आयोजित किया जाये और प्रतिभागियों का फीडबैक एक प्रपत्र में लिया जाये। प्रतिभागिता तकनीक प्रतिभागियों के व्यवहार को सही करने के लिए लागू की जाये।

नोट

ऊपर सामान्य सुझाव और मार्गनिर्देशिका दी गई है। जिला युवा समन्वयक अन्य नये कार्यक्रम एवं गतिविधियॉ आयोजित कर सकते हैं जोकि हमारे उद्‌देश्यों को और अधिक प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकें। वास्तविकता में प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुछ नई बातें होनी चाहिए।

अनुपालन

सामाजिक समस्याओं के विरूद्ध विशाल अभियान आरम्भ करने के लिए सम्बन्धित विभाग के साथ समन्वयक स्थापित करने के प्रयास किये जायें।

जिला युवा समन्वयक सामाजिक समस्या से उभरने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए सम्बन्धित विभाग की सलाह से एक संयुक्त कार्ययोजना तैयार करे।

बजट

इस कार्यक्रम का बजट रूपये 1,00,000.00 प्रति जिला है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण के पश्चात कौशल एवं ज्ञान प्राप्त स्वयंसेवकों की संख्या 110 युवा स्वयंसेवकों से अधिक होगी।

भाग III कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

6. 200 सीमावर्ती/आदिवासी/पिछड़े जिलों में महिलाओं के लिए कौशल संवर्धन प्राशिक्षण कार्यक्रम (एस.यू.टी.पी.)

ग्रामीण युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए नेयुकेसं सदैव अपनी गतिविधियों के द्वारा स्वरोजगार एवं परियोजनाओं के माध्यम से इस समस्या के समाधान के लिए कार्य कर रहा है। इसके अन्तर्गत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है जिससे की वे अपने गॉव या आसपास के क्षेत्र में अपना व्यवसाय आरम्भ कर सकें। वास्तव में पिछले कई सालों से चलते रहने के बावजूद कौशल संवर्धन कार्यक्रम नेहरू युवा केन्द्र संगठन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है क्योंकि यह निरन्तर, टिकाऊ एवं लाभदायी रोजगार के लिए प्रोत्साहित करता है ।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के क्षमता स्तर को बढ़ाना है और इसके साथ उन्हें स्वरोजगार की गतिविधियों को आरंभ करने में सक्षम बनाना है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं की व्यवसायिक क्षमता बढती है और अद्यतन होती है। इससे ग्रामीण युवाओं के अपने विद्यमान व्यवसाय से आय बढ़ा सकते हैं, विद्यमान क्षमता कौशल से उत्पादन में सुधार होता है और नये कौशल को सीखता है जिसकी बाजार में मॉग बढ़ रही होती है।

महिलाओं के लिए क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 200 जिलों की सूची

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	क्रम सं.	जिले का नाम	क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	क्रम सं.	जिले का नाम
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप	1.	केम्पबेल बे	6	छत्तीसगढ़	35	राजनन्दगांव
		2.	कार्मोता			36	दुर्ग
2	आन्ध्र प्रदेश	3.	निजामाबाद			37	बस्तर
		4.	विजयवाड़ा	7	दादर नगर हवेली	38	सिलवासा
		5.	श्रीकाकूलम	8	दमन एवं दीव	39	दमन
		6.	काकीनाडा			40	दीयू
		7.	खम्माम	9	गुजरात	41	भूज
		8.	गुन्टूर			42	पालनपुर
		9.	रंगारेड्डी			43	जामनगर
3	अरूणाचल प्रदेश	10.	तेजू			44	जूनागढ़
4	असम	11.	करीमगंज			45	अमरेली
		12.	बोंगइगांव			46	भावनगर
		13.	बारपेटा	10	गोवा	47	साउथ गोवा
		14.	ढुब्री				
		15.	कोंकराझार	11	हरियाणा	48	कुरूक्षेत्र
		16.	धमेजी			49	महेन्द्रगढ़
		17.	जोरहाट			50	सिरसा
		18.	चाचर (सिलचर)			51	रेवाड़ी
		19.	कामरूप	12	हिमाचल प्रदेश	52	केलांग (लाहोल स्पीती)
		20.	तिनसुकिया			53	किन्नौर
						54	चम्बा
						55	धर्मशाला
5	बिहार	21.	मोतीहारी			56	मण्डी
		22.	सीतामढ़ी			57	सिरमौर
		23.	मधुबनी			58	कुल्लू
		24.	किशनगंज			59	ऊना
		25.	अररिया				
		26.	पुर्णियां	13	जम्मू एवं काश्मीर	60	लेह
						61	बडगांव
		27.	सुपौल			62	करगिल
		28.	बेतिया			63	कुपवाड़ा
		29.	बेगुसराय			64	बारामूला
		30.	नवादा			65	पूंछ
		31.	बांका			66	रजौरी
		32.	गया			67	जम्मू
		33.	मुंगेर			68	कठुआ
		34.	सारण			69	श्रीनगर

14	झारखण्ड	70	रांची	20	मणिपुर	113	उखरूल
		71	हजारीबाग			114	थोबाल
		72	गिरीडीह			115	चंदेल
		73	साहिबगंज			116	सेनापति (कोंगपोकपी)
		74	चतरा			117	सेनापति ॥
		75	गढ़वा	21	मेघालय	118	जोवाई
15	कर्नाटक	76	हासन			119	नोंगस्टेन
		77	बेंगलोर ग्रामीण	22	मिजोरम	120	लुंगली
		78	धारवाड़			121	सेहा
		79	कोडागु			122	एजवाल
		80	मंगलोर	23	नागालैण्ड	123	मोन
		81	बेलगांव			124	तेनेन्सुआंग
		82	कोलार			125	जूनहेबोटो
		83	बेल्लारी	24	उड़ीसा	126	मयूरभंज
		84	शिमोगा			127	कोरापुट
16	केरल	85	मालापुरम			128	कटक
		86	पालक्कड			129	बोलंगीर
		87	वयनाड			130	गंजम
		88	थोडुपूजा (इडूक्की)			131	कालाहाण्डी
		89	पाथानामथिता			132	पुरी
		90	कोट्टायाम	25	पाण्डीचेरी	133	यनम
17	लक्षद्वीप	91	कावरती	26	पंजाब	134	तरन तारन
18	मध्य प्रदेश	92	शिवपुरी			135	फिरोजपुर
		93	होशंगाबाद			136	गुरूदासपुर
		94	रतलाम			137	संगरूर
						138	मनसा
						139	अमृतसर
		95	बालाघाट	27	राजस्थान	140	बाड़मेर
		96	गुना			141	जैसलमेर
		97	पन्ना			142	श्रीगंगानगर
		98	शहडोल			143	बीकानेर
		99	सिधि			144	सिरोही
		100	सिवनी			145	झालावाड़
		101	टीकमगढ़			146	डूंगरपुर
		102	सतना			147	बांसवाड़ा
		103	कटनी			148	दौसा
19	महाराट्र	104	लातूर			149	चूरू
		105	सोलापुर			150	धौलपुर
		106	वर्धा			151	सीकर
		107	चन्दरपुर			152	झुंझुनू
		108	सिंधुदुर्ग			153	बारां
		109	रत्नागिरी	28	सिक्किम	154	गयालसिंह (गेजिंग) पश्चिम सिक्किम
		110	सांगली				
		111	परभणी			155	नामची
		112	जालना			156	मंगन (उत्तरी जिला)

						157	गंगटोक
29	तमिलनाडु	158	थंजावुर	32	उत्तराखण्ड	186	उत्तरकाशी
		159	रामनाथपुरम			187	पिथोरागढ़
		160	चितम्बरबरन (टूटीकोरिन)			188	गोपेश्वर चमोली (चमोली)
		161	डिंडीगुल			189	नैनीताल
		162	पेरम्बुदूर			190	अल्मोड़ा
		163	करूर	33	पश्चिम बंगाल	191	मुर्शीदाबाद
		164	थेनी			192	24 परगना नार्थ
		165	तिरूवल्लूर			193	डायमण्ड हार्बर
30	त्रिपुरा	166	उदयपुर			194	दार्जिलिंग
		167	अगरतला			195	कूचबिहार
		168	धर्मनगर			196	जलपाईगुड़ी
31	उत्तर प्रदेश	169	पीलीभीत			197	बराहीपुर
		170	लखीमपुर			198	माल्दा
		171	महाराजगंज			199	नाडिया
		172	सिद्धार्थनगर			200	उत्तरदिनाजपुर
		173	राय बरेली				
		174	अमेठी				
		175	बहराईच				
		176	प्रतापगढ़				
		177	सुल्तानपुर				
		178	रामपुर				
		179	सोनभद्र				
		180	गाजीपुर				
		181	बलिया				
		182	बिजनौर				
		183	सहारनपुर				
		184	हरदोई				
		185	उन्नाव				

प्रशिक्षण के क्षेत्र

निम्नलिखित क्षेत्रों/व्यावसायों पर विशेा ध्यान दिया जाये (यह सूची केवल सुझाव के तौर पर दी गई है)

- उन्नत खेती
- ट्रैक्टर, मोटर और अन्य कृिा उपकरणों की मरम्मत एवं रख–रखाव
- डेयरी, मुर्गी पालन, भेड़ पालन
- रेशम कीट पालन (रेशम उत्पादन) और फूलों की खेती
- कटिंग एवं टेलरिंग
- जूते बनाना

- क्षेत्र के परम्परागत हस्तशिल्प
- किसी एक कृि आधारित परियोजना में प्रशिक्षण जैसे मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, कृमिपालन, अंगोरा खरगोश पालन, डेयरी विकास, मशरूम की खेती, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, नकदी फसलों का उत्पादन आदि पर प्रशिक्षण दिया जा सकता है लेकिन यह स्थानीय आवश्यकता और संसाधन उपलब्धता पर निर्भर करता है।

युवा समन्वयक इन व्यवसायों का चयन एक तरफ तो ग्रामीण महिलाओं की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करेंगे और दूसरी तरफ कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर करेंगे। नेहरू युवा केन्द्र यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले के सम्बन्धित विभाग/एजेन्सी/संस्थान के साथ समन्वय स्थापित करके आयोजित करेंगे। लेकिन युवा समन्वयक यदि यह पाते हैं कि किसी व्यवसाय विशेा के लिए जिले में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वे युवाओं को जिले से बाहर किसी सुप्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के लिए भेज सकते हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल महिलाओं के लिए ही आयोजित किया जायेगा।

अवधि

प्रशिक्षण की अवधि चयनित व्यवसाय के प्रकार पर निर्भर करती है। इसलिए युवा समन्वयक सम्बन्धित तकनीकी विशेाज्ञ या संस्थान की सलाह से प्रशिक्षण की अवधि निर्धारित करेंगे। किसी भी परिस्थिति दीर्घकालिक एस.यू.टी.पी. की अवधि छः माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अल्पकालिक के एस.यू.टी.पी. कार्यक्रम की अवधि 30 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रत्येक कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या

किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिले की जरूरतमन्द, बेरोजगार, ग्रामीण/अर्द्धशहरी महिलाओं का चयन किया जाये।

जिले में कार्यक्रमों की संख्या

न्यूनतम : 11 (न्यूनतम 05 दीर्घावधिक और 06 लघु अवधि के एस.यू.टी.पी. कार्यक्रम)

बजट आबंटन

निर्धारित बजट

बजट	कवरेज	दर प्रति जिला नेहरू युवा केन्द्र (रुपए में)	राशि (रुपए में)	टिप्पणी
जिला	200 सीमावर्ती/आदिवासी/पिछड़े जिलों में स्थित नेहरू युवा केन्द्र	100000.00	20000000.00	50 प्रतिशत राशि प्रत्येक प्रतिभागी से उपभोग प्रभार/शुल्क के रूप में ली जाएगी।

बजट (प्रति जिला नेहरू युवा केन्द्र)

अ.	दीर्घकालिक		
	न्यूनतम पांच कार्यक्रम रु. 25000/– की दर से	**रुपए 125000.00**	
	एक कार्यक्रम का बजट	प्रशिक्षक का मानदेय रु. 2500 प्रति प्रशिक्षक की दर से (2500X6)	रु.15,000.00
		कच्चे सामग्री की खरीद, आयोजन व्यय, बाजार तैयार करने के लिए यात्रा भत्ता आदि	रु. 10,000.00
		कुल	**रु. 25,000.00**
ब.	अल्पकालिक		
	न्यूनतम 6 कार्यक्रम	रु. **75,000.00**	
	एक कार्यक्रम का बजट	संदर्भ व्यक्ति का मानदेय रु. 250 से 500 प्रति व्याख्यान प्रति व्यक्ति स्थिति के अनुसार	प्रशिक्षण के अनुसार अलग–अलग
		कच्चे सामग्री की खरीद, आयोजन व्यय, यात्रा भत्ता आदि	कम से कम खर्च किया जाए
	कुल		रु. **12,500.00**

उपभोग प्रभार/शुल्क

प्रत्येक कार्यक्रम में 50% की राशि उपभोग प्रभार/शुल्क के रूप में प्रत्येक प्रतिभागी से प्राप्त की जाएगी। शेष 50 प्रतिशत की राशि इन केन्द्रों को चलाने के लिए आवंटित बजट से नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा वहन किया जाएगा। यदि कोई अतिरिक्त जरूरत हो तो उसे अन्य विभागों/एजेंसियों के सहयोग से पूरा किया जा सकता है।

कड़ाई से पालन के लिए कुछ अन्य बिन्दु:

- रुपए 25,000/– प्रति कार्यक्रम की दर से रु. 1,25,000/– में कुल 05 दीर्घकालिक कार्यक्रम एवं रु. 12,500/– प्रति कार्यक्रम की दर से रुपए 75,000/– में कुल 06 अल्पकालिक कार्यक्रम।
- प्रत्येक जिले में कुल कार्यक्रमों का खर्च रु. 2,00,000/– होगा तथा प्रत्येक कार्यक्रम के तहत कम से कम 30 महिला प्रतिभागियों का चयन किया जाना चाहिए।
- नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा **विशेष रूप से महिला प्रतिभागियों के लिए** कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
- ये कार्यक्रम **महिला सशक्तिकरण** को समर्पित हैं।

संचालन संबंधी विवरण:

- दीर्घकालिक कार्यक्रमों के लिए (जोकि छह माह से अधिक के नहीं होंगे), प्रशिक्षक का मानदेय **रु. 2,500/– प्रतिमाह तक होगा।** तथापि व्यवसाय विशेष के लिए प्रशिक्षक के मानदेय बारे में जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति में चर्चा एवं समिति के अध्यक्ष/मंडल निदेशक से अनुमति लेने के पश्चात ही अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा।
- जितना भी संभव हो, संचालन संबंधी खर्च को न्यूनतम रखा जाए, और यदि संभव हो सके तो इससे बचा जाए।
- प्रत्येक कोर्स का प्रभारी नेहरू युवा केन्द्र के स्वयं सेवकों को बनाया जाए। यदि और कोई जरूरत हो तो उसे अन्य विभागों/एजेंसियों के साथ मिलकर पूरा किया जा सकता है।
- कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्थल गांवों के समूह के बीच में होना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद, बेरोजगार महिलाएं कार्यक्रम में भाग ले सकें और इच्छित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।
- इस बात के लिए पर्याप्त प्रयास किया जाना चाहिए कि इन प्रशिक्षणों के दौरान प्रशिक्षित महिलायें अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकें/नौकरी प्राप्त कर सकें।
- उन सभी प्रशिक्षुओं का जिन्होंने इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जो आय बढ़ाने वाली गतिविधियों में लग चुके हैं उन सभी का एक डाटा बेस तैयार किया जाना चाहिए।

समन्वय:

- प्रशिक्षण को प्रभावी एवं लाभप्रद बनाने के लिए कौशल संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन लघु उद्योगों, टेलरिंग उद्योगों, केजीके/केवीके, केवीआईसी, एसजीएसवाई, डीआरडीए, डीआईसी, आईटीआई, डब्ल्यूसीडी, कृषि विश्वविद्यालय विस्तार सेवाओं आदि के साथ मिलकर किया जाएगा।
- प्रशिक्षण के पश्चात, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रशिक्षित युवा स्वालंबी इकाइयों की स्थापना करें अथवा अपने परिवार की आय को बढ़ाने के लिए स्थाई रोजगार प्राप्त करें।
- युवा समन्वयक को जिला प्रशासन, बैंक और वित्तीय संस्थानों से समन्वय करना होगा।

मूल्यांकनः

जिला नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति का सत्र के मध्य में मूल्यांकन मंडल निदेशक द्वारा किया जाएगा तथा अनुमान से कम उपलब्धि की स्थिति में, राशि मुख्यालय की अनुमति एवं लेखा पुस्तिकाओं में आवश्यक प्रविष्टि हेतु संबंधित पीएओ जोन को सूचना देकर उन केन्द्रों को स्थानांतरित कर दी जाएगी जिन केन्द्रों की उपलब्धि संतोषजनक पायी जाएगी।

7. 50 जिलों में 200 जिलों के प्रतिभागियों को कवर करते हुए एन.सी.वी.टी. के अन्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण **कार्यक्रम (एस.डी.टी.पी.)**

उद्देश्य

- ग्रामीण युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराना जिससे कि उनमें सरकारी/निजी संस्थानों के ढ़ॉचे का उपयोग करते हुए उनमें रोजगार अर्जन के लिए सुधार किया जा सके।
- पंजीकृत व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्धकर्ता के माध्यम से प्रतियोगिता विकास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण।

कार्यक्रम के मुख्य बिन्दु

- युवाओं को नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।
- यह प्रशिक्षण व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्धकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। यह व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए राट्रीय परिाद (एन.सी.वी.टी.) के अन्तर्गत पंजीकृत होंगे और यह (एम.ई.एस.) पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देंगे।
- यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एन.सी.वी.टी. द्वारा एम.ई.एस. के अन्तर्गत अनुमोदित होंगे।
- एन.सी.वी.टी. प्रमाण पत्र के लिए वी.टी.पी. द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों की क्षमता की जॉच के लिए स्वतंत्र मूल्याकंन एजेंसी उत्तरदायी होगी ।
- कार्यक्रम में प्रमाणपत्र देने का मुख्य उद्देश्य है कि यह राट्रीय और अन्तर्राट्रीय स्तर पर मान्य होगा।

लक्ष्य समूह

- युवा पुरूष एवं महिला दोनों 14 से 35 आयु वर्ष समूह के बीच होने चाहिए।

वी.टी.पी. जिलों की कुल संख्या : 50

कवर किये जाने वाले जिलो की कुल संख्या : 200

प्रशिक्षित किये जाने वाले युवाओं की कुल संख्या : 5000 युवा पुरूा एवं महिला दोनों (25 युवा प्रत्येक 200 चयनित जिलों में से)

प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षार्थियों की कुल संख्या : 25 से अधिक नहीं

चयनित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि : 180 घंटे से अधिक नहीं

बजट

विवरण/बजट शीर्ा	अपेक्षित विवरण	दर (रू.में)	कुल (लाख में)
पाठ्यक्रम शुल्क	5000 प्रतिभागी	1000 पाठ्यक्रम शर्तो के अनुसार	50.00
जांच एवं प्रमाण	5000 प्रतिभागी	800 पाठ्यक्रम शर्तो के अनुसार	40.00
भोजन एवं आवास	5000 प्रतिभागी	100 प्रतिदिन के लिए 90 दिन पाठ्यक्रम शर्तो के अनुसार	450.00
यात्रा व्यय	5000 प्रतिभागी	200 प्रति व्यक्ति	10.00
वी.टी.पी. संस्थान के लिए संगठनात्मक व्यय (प्रशासनिक, व्यवसायिक प्रभार, प्रशिक्षण किट, अभिलेखीकरण, फोटोग्राफी और अन्य अपेक्षित व्यय)	50 वी.टी.पी. जिले x 4 एम.ई.एस. पाठ्यक्रम वास्तविक आधार पर	10000 प्रति एम.ई.एस. पाठ्यक्रम वास्तविक आधार पर	20.00
नेहरू युवा केन्द्रों के लिए संगठनात्मक व्यय (प्रचार, परिपत्र जारी करने, साक्षात्कार आयोजित करने आदि)	200 जिला नेहरू युवा केन्द्र	3000	6.00
कुल			576.00

प्रतिभागियों का चयन

मण्डल निदेशक वी.टी.पी. संस्थानों, एम.ई.एस. पाठ्यक्रमों और अनुबन्ध 1 पर दिये गये चार्ट के अनुसार जिलावार सीटों की संख्या के आबंटन को अन्तिम रूप देने के लिए वी.टी.पी. एवं प्रतिभागी जिला युवा समन्वयकों की एक बैठक आयोजित करेंगे। प्रशिक्षार्थी के रूप में युवाओं के चयन हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिसमें जिला युवा समन्वयक सदस्य सचिव होंगे एक समिति गठित की जायेगी।

प्रत्येक वी.टी.पी. जिले के साथ फीडर/संलग्न जिला नेहरू युवा केन्द्र एम.ई.एस. पाठ्यक्रम के बारे में और चयनित किये जाने वाले प्रशिक्षार्थियों की संख्या के बारे में जिले के समस्त युवा मण्डलों के बीच जानकारी का प्रचार – प्रसार करेंगे ।

प्रशिक्षार्थियों के चयन के लिए योग्यता शर्ते

इच्छुक युवाओं से निर्धारित आवेदन प्रपत्र में आवेदन मॉगे जा सकते हैं। जिसमें समस्त सूचनायें दी जायें और इसके साथ साथ आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज जैसे शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, **मार्क्स शीट (अंकतालिका),** 3 पासपोर्ट साईज फोटोग्रापस, चरित्र प्रमाणपत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र/आयु प्रमाण पत्र, गृह जिला प्रमाणपत्र, युवा मण्डल का सिफारिश पत्र।

एन.सी.वी.टी. प्रमाण पत्रों के लाभ

नेहरू युवा केन्द्र मीडिया और युवा मण्डलों के माध्यम से प्रचार करेगा कि चयनित युवाओं की प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात क्षमता/कौशल परीक्षा होगी और सफल प्रतिभागियों को एन.सी.वी.टी. प्रमाण पत्र दिया जायेगा। जिसे राट्रीय और अन्तर्राट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होगी।

प्रचार का साधन

कार्यक्रम के बारे में जानकारी का प्रचार – प्रसार निम्नलिखित माध्यमों से किया जा सकता है –

- प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक के माध्यम से प्रचार
- जिले के महत्वपूर्ण जन कार्यालय जैसे ने.यु.के./जिला कलक्टर/तहसील/बी.डी.ओ. आदि के कार्यालयों के सरकारी नोटिस बोर्ड पर सूचना पत्र लगाकर।
- युवा मण्डलों को परिपत्र के माध्यम से।

प्रबोधन, मूल्यांकन एवं निरीक्षण

वी.टी.पी. जिले के सम्बन्धित युवा समन्वयक और मण्डल निदेशक और उपनिदेशक भी आवधिक आधार पर नियमित रूप से प्रबोधन, मूल्यांकन और निरीक्षण करेंगे। आर.डी.ए.टी./एन.सी.वी.टी. के प्रतिनिधि भी प्रबोधन प्रक्रिया में शामिल होंगे।

अनुबंध -1

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	क्रम सं.	वी.टी.पी. जिले का नाम जहां प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है	क्रम सं.	एन.सी.वीटी. के अर्न्तगत चयनित जिला	चयनित किये जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप	1	पोर्ट ब्लेयर	1	पोर्ट ब्लेयर	25
				2	रंगत	25
				3	डिगलीपुर	25
				4	निकोबार	25
		कुल				**100**
2	आन्ध्र प्रदेश	2	करीमनगर	1	करीमनगर	25
				2	मेडक	25
				3	अदीलाबाद	25
				4	वारंगल	25
		कुल				**100**
		3	कुड्डपा	1	कुड्डपा	25
				2	अनन्तपुर	25
				3	चित्तूर	25
				4	नेल्लोर	25
		कुल				**100**
3	अरूणाचल प्रदेश	4	अपर सुबतसीरी	1	अपर सुबतसीरी	25
				2	लोअर सबनासीरी	25
				3	सियांग (अलोंग)	25
		कुल				**75**
4	असम	5	कामरूप	1	दारंग	25
				2	गोलपाड़ा	25
				3	नलबारी	25
				4	मोरीगांव	25
		कुल				**100**
		6	नौगांव	1	नौगांव	25
				2	सिबसागर	25
				3	सोनितपुर	25
				4	करबाईलांग	25
		कुल				**100**
5	बिहार	7	रोहतास	1	रोहतास	25
				2	बक्सर	25
				3	औरंगाबाद	25
				4	कैमूर (भभुआ)	25

		कुल				**100**
		8	पटना	1	पटना	25
				2	जहानाबाद	25
				3	नालन्दा	25
				4	वैशाली	25
		कुल				**100**
		9	कटिहार	1	कटिहार	25
				2	मधेपुरा	25
				3	भागलपुर	25
				4	खगड़िया	25
		कुल				**100**
6	छत्तीसगढ़	10	रायगढ़	1	रायगढ़	25
				2	चम्पा	25
				3	सरगुजा	25
				4	रायपुर	25
		कुल				**100**
7	नई दिल्ली	11	अलीपुर	1	अलीपुर	25
				2	महरौली	25
				3	नागलोई	25
		कुल				**75**
8	गुजरात	12	वदोदरा	1	वदोदरा	25
				2	हिम्मतनगर	25
				3	गोधरा (पंचमहल)	25
				4	नाडियाड (खेडा)	25
		कुल				**100**
		13	वलसाड	1	वलसाड	25
				2	सूरत	25
				3	डेंग	25
				4	भरूच	25
		कुल				**100**
9	हरियाणा	14		1	करनाल	25
				2	हिसार	25
				3	कैथल	25
				4	अम्बाला	25
		कुल				**100**
		15	गुडगांव	1	गुड़गांव	25
				2	फरीदाबाद	25
				3	**जीन्द**	25
				4	सोनीपत	25
		कुल				**100**
10	हिमाचल प्रदेश	16	शिमला	1	शिमला	25
				2	सोलन	25
				3	हमीरपुर	25
				4	बिलासपुर	25

		कुल				**100**
11	जम्मू एवं कश्मीर	17	डोडा	1	डोडा	25
				2	अनन्तनाग	25
				3	पुलवामा	25
				4	उधमपुर	25
		कुल				**100**
12	झारखण्ड	18	धनबाद	1	धनबाद	25
				2	दुमका	25
				3	गोड्डा	25
				4	देवगढ़	25
		कुल				**100**
		19	पश्चिम सिंगभूम	1	छपरा	25
				2	पूर्वी सिंगभूम	25
				3	लोहरदग्गा	25
				4	गुमला	25
		कुल				**100**
13	कर्नाटक	20	गुलबर्गा	1	गुलबर्गा	25
				2	बीदर	25
				3	रामचूर	25
				4	बीजापुर	25
		कुल				**100**
		21	मण्डया	1	मण्डया	25
				2	मैसूर	25
				3	तुमकूर	25
				4	चित्रदुर्गा	25
		कुल				**100**
14	केरल	22	कोझिकोड	1	कोझिकोड	25
				2	कन्नूर	25
				3	कासरगोड	25
				4	त्रिशूर	25
		कुल				**100**
15	मध्य प्रदेश	23	भोपालक	1	भोपाल	25
				2	विदिशा	25
				3	रायसेन	25
				4	सिहोर	25
		कुल				**100**
		24	खण्डवा	1	खण्डवा	25
				2	छिन्दवाड़ा	25
				3	हरदा	25
				4	बेतूल	25
		कुल				**100**
		25	इन्दौर	1	इन्दौर	25
				2	धार	25
				3	झबूआ	25

				4	खरगांव	25
		कुल				**100**
16	महराट्र	26	सांगली	1	थाने	25
				2	कोल्हापुर	25
				3	सतारा	25
				4	पणजी	25
		कुल				**100**
		27	अमरावती	1	अमरावती	25
				2	अकोला	25
				3	यवतमाल	25
				4	नान्देड	25
		कुल				**100**
		28	अहमदनगर	1	अहमदनगर	25
				2	बीड	25
				3	नासिक	25
				4	रायगढ़	25
		कुल				**100**
17	मणिपुर	29	इम्फाल	1	इम्फाल	25
				2	चुराचन्द्रपुर	25
				3	बिशनपुर	25
				4	तार्नेगलांग	25
		कुल				**100**
18	मेघालय	30	पश्चिम गारो हिल्स	1	पश्चिम गारो हिल्स	25
				2	पूर्वी खासी हिल्स	25
				3	पूर्वी गारो हिल्स	25
		कुल				**75**
19	नागालैण्ड	31	कोहिमा	1	कोहिमा	25
				2	मोकोकचुंग	25
				3	वोखा	25
				4	फेक	25
		कुल				**100**
20	उड़ीसा	32	क्योंझार	1	क्योंझार	25
				2	फुलबानी	25
				3	सुन्दरगढ	25
				4	सम्बलपुर	25
		कुल				**100**
		33	बालासोर	1	बालासोर	25
				2	केन्द्रपाड़ा	25
				3	धेनकनाल	25
				4	नौपाड़ा	25
		कुल				**100**
21		34	पुड्डुचेरी	1	पुड्डुचेरी	25

				2	कराईकल	25
				3	माहे	25
		कुल				**75**
22	पंजाब	35	भटिण्डा	1	भटिण्डा	25
				2	होशियारपुर	25
				3	फरीदकोट	25
				4	रोपड़	25
		कुल				**75**
		36	फतेहगढ़ साहिब	1	फतेहगढ़ साहिब	25
				2	पटियाला	25
				3	जालन्धर	25
				4	लुधियाना	25
		कुल				**100**
23	राजस्थान	37	उदयुपर	1	उदयपुर	25
				2	चित्तौड़गढ़	25
				3	राजसमन्द	25
				4	भीलवाड़ा	25
		कुल				**100**
		38	जोधपुर	1	जोधपुर	25
				2	पाली	25
				3	जालोर	25
				4	नागौर	25
		कुल				**100**
		39	जयपुर	1	टोंक	25
				2	अजमेर	25
				3	सवाई माधोपुर	25
				4	जयपुर	25
		कुल				**100**
24	तमिलनाडु	40	वेलुपुरम	1	विल्लूपूरम	25
				2	तिरूवन्नामलाई	25
				3	धरमपुरी	25
				4	कुड्डालोर	25
		कुल				**100**
		41	नागरकोविल (कन्याकुमारी)	1	नागरकोविल (कन्याकुमारी)	25
				2	सिवगंगा	25
				3	तिरूनेवेल्ली	25
				4	विरूदानगर	25
		कुल				**100**
		42	तिरूचरापल्ली	1	तिरूचरापली	25
				2	तिरूवरूर	25
				3	नागापत्तनम	25
				4	पुडुकोटाई	25
		कुल				**100**
25	उत्तर प्रदेश	43	बरेली	1	बरेली	25
				2	बदायूँ	25

				3	शाहजहांपुर	25
				4	मुरादाबाद	25
		कुल				**100**
		44	लखनऊ	1	लखनऊ	25
				2	सीतापुर	25
				3	बाराबांकी	25
				4	गोण्डा	25
				5	कानपुर देहात	25
		कुल				**125**
		45	गोरखपुर	1	गोरखपुर	25
				2	देवरिया	25
				3	आजमगढ़	25
				4	बस्ती	25
		कुल				**100**
		46	इलाहाबाद	1	इलाहाबाद	25
				2	मिर्जापुर	25
				3	जौनपुर	25
				4	फतेहपुर	25
				5	बान्दा	25
		कुल				**125**
		47	झांसी	1	झांसी	25
				2	जालोन	25
				3	हमीरपुर	25
				4	ललितपुर	25
				5	मैनपुरी	25
				6	इटावा	25
		कुल				**150**
26	उत्तरांचल	48	हरिद्वार	1	हरिद्वार	25
				2	पौड़ी	25
				3	देहरादून	25
				4	टिहरी गढ़वाल	25
		कुल				**100**
27	पश्चिम बंगाल	49	पूर्वी मिदनापुर	1	पूर्वी मिदनापुर	25
				2	हावड़ा	25
				3	पश्चिम मिदनापुर	25
				4	हुगली	25
		कुल				**100**
		50	बांकुरा	1	बाकुरा	25
				2	पुरूलिया	25
				3	वर्धमान	25
				4	बीरभूम	25
		कुल				**100**

भाग IV. खेल प्रोत्साहन कार्यक्रम

8. युवा मंडलों के लिए खेल सामग्री का प्रावधान

विषयः **ग्रामीण युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना।**

उद्देश्य :

- **ग्रामीण युवाओं में खेल को एक जीवन शैली के रूप में लोकप्रिय बनाना।**
- **युवा मंडलों को मूलभूत खेल सामग्री उपलब्ध कराना, जिससे वे कुछ खेल की गतिविधियों का आयोजन कर सकें।**
- **युवाओं में खेल संस्कृति का विकास करना जिससे कि वे नियमित रूप से खेल सकें, न कि कभी–कभी।**

उपरोक्त कार्यक्रम के तहत, संबंधित जिले के जिला युवा समन्वयक केवल उन्हीं युवा मंडलों के आवेदनों पर विचार करेंगे जो निम्नलिखित न्यूनतम मापदण्डों को पूरा करेंगेः–

⇒ युवा मंडल को सोसायटी पंजीयन अधिनियम अथवा लागू राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए/जिला नेहरू युवा केन्द्र से सम्बद्ध होना चाहिए।

⇒ युवा मंडल को गत दो वित्त वर्षों के दौरान नेहरू युवा केन्द्र के कार्यक्रमों में भाग लिए होना चाहिए।

⇒ युवा मंडलों के पास खेल के लिए न्यूनतम मूलभूत सुविधायें होनी चाहिए अथवा वे इसे स्कूल अथवा अन्य संगठनों से व्यवस्था कर सकते हों।

⇒ युवा मंडल को हाल में कम से कम एक खेल की गतिविधियों को आयोजित किए अथवा उसमें भाग लिए होना चाहिए।

⇒ युवा मंडल जिला नेहरू युवा केन्द्र के लगातार सम्पर्क में हो या अपनी गतिविधियों के बारे में प्रगति भेजता रहा हो।

⇒ ग्रामीण युवा मंडल, युवा विकास केन्द्र अथवा ग्रामीण सूचना प्रौद्योगिकी युवा विकास केन्द्र के आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा।

इच्छुक युवा मंडलों से **संलग्नक–एक्स** पर तत्काल आवेदन आमंत्रित किया जाएगा तथा उसे **संलग्नक–वाई** के रूप में दिए गए प्रपत्र पर संग्रहीत किया जाएगा। खेल सामग्री प्रदान करने के लिए सम्यक् तरीके से गठित समिति द्वारा आवेदक युवा मंडलों में से पात्र युवा मंडलों का चयन किया जाएगा। **चयन समिति का गठन जोकि क्रय समिति** भी होगी, निम्नवत होगाः

पदनाम	**स्थिति**
जिला युवा समन्वयक	अध्यक्ष

लेखा लिपिक सह टंकक	सदस्य सचिव
⇒ विभिन्न प्रखंडों के 05 युवा मंडलों के अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि ⇒ कम से कम 01 प्रतिनिधि युवती मंडल से होना चाहिए।	सदस्य

व्याख्या: **प्रत्येक जिले में इस कार्यक्रम के तहत चयनित युवा मंडलों को आधारभूत खेल सामग्री प्रदान की जाएगी।**

बजट का निर्धारण:

युवा मंडलों के लिए खेल सामग्री की खरीद हेतु प्रति युवा मंडल रु. 2000/– की दर से राशि निश्चित की गई है। इस राशि को जिले में युवा मंडलों की संख्या (जिनको खेल सामग्री प्रदान की जाएगी) से गुणा कर लिया जाएगा। खेल सामग्री युवा मंडलों को निम्नलिखित के अनुसार प्रदान किया जाएगा:–

जिले में प्रखंड	**युवा मंडलों की संख्या जिन्हें खेल सामग्री दी जाएगी**	**बजट :** रु. 2000/– प्रति युवा मंडल की दर से
0–5	78	1,56,000.00
6–14	98	1,96,000.00
15 अथवा उससे अधिक	128	2,56,000.00

टिप्पणी :

⇒ आवश्यकता आधारित खेल सामग्रियों की खरीद सभी औपचारिकताओं का पूरी तरह से पालन करने के पश्चात की जाएगी। खरीद प्रथम तिमाही में की जानी चाहिए तथा उसे खेल प्रतियोगिताओं और खेल प्रशिक्षणों के लिए चयनित युवा मंडलों को वितरित किया जाना चाहिए।

⇒ यही समिति विभिन्न स्तरों पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए खेल सामग्री की खरीद करेगी, जिसके लिए जिला नेहरू युवा केन्द्र के आकार के आधार पर राशि निर्धारित की गई है।

9 एवं 10 प्रखंड एवं जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं

लक्ष्य:

इस योजना का लक्ष्य ओलंपिक/देशी एवं स्थानीय रूप से लोकप्रिय खेलों में लीग/समूह खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करके स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन की विचारधारा को लोकप्रिय बनाना है।

उद्देश्य :

- ग्रामीण युवाओं में शारीरिक स्वास्थ्य एवं खेल संस्कृति को बढ़ावा देना।
- उन ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना जिसमें कम से कम ढ़ांचागत सुविधाओं, मशीनों तथा धन की आवश्कता होती है।
- खेल को जीवन पद्धति का हिस्सा बनाना।

विषयवस्तुः

कबड्डी, वालीबाल, बैडमिंटन, फुटबाल, जैसे समूह खेलों के अलावा एथलेटिक गतिविधियां जैसे क्रास कंट्री, वॉक या रन, लम्बी कूद, रस्साकसी, भाला फेंकना, गोला फेंकना और जैवलिन फेंकना आदि की प्रतियोगितायें प्रखंड एवं जिले स्तर पर आयोजित की जाएंगी।

स्वरूपः

- पहले लीग / समूह खेलों का आयोजन स्वैच्छिक आधार पर गांव स्तर पर आयोजित किया जाएगा।
- फिर प्रखंड/उपखण्ड स्तर की खेल प्रतियोगिताएं होंगी।
- इसके बाद जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

प्रखंड / उपखण्ड स्तर के समूह खेलों के विजेताओं को उसी खेल में जिले स्तर पर खेलना होगा।

कार्यक्रम की अवधिः

- इन खेल प्रतियोगिताओं की अवधि आवश्यकता के अनुसार रखी जा सकती है, लेकिन यह किसी भी दशा में तीन दिन से अधिक की नहीं हो सकती है।
- इसके अलावा, खेलों का बजट वही रहेगा, और बजट का खेल के आयोजन के दिनों की संख्या से कोई लेना–देना नहीं होगा।

प्रत्येक कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या : खेल की जरूरत के अनुसार

बजट

प्रखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं प्रत्येक जिले में प्रखंडों की संख्या के अनुसार आयोजित की जाएंगी और इसके लिए निम्नलिखित पद्धति अपनायी जाएगी :

जिले प्रखंडों सहित	प्रखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं की संख्या	बजट : प्रति प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता के लिए रु. 15,000 / – की दर से	जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं की संख्या	बजट : जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए बजट रु. 40,000
0–5	3	45,000.00	1	40,000.00
6–14	5	75,000.00	1	40,000.00
15 या अधिक	8	1,20,000.00	1	40,000.00

टिप्पणीः

- विभिन्न स्तरों पर प्रत्येक खेल प्रतियोगिता में कम से कम पांच खेलों (ओलंपिक/देशी/स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय) का आयोजन किया जाएगा।
- प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता खुद ही जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए योग्य हो जाएंगे।

भाग V. राष्ट्रीय एकीकरण, सामुदायिक सौहार्द, सद्भावना एवं शांति

11 एवं 12 ब्लाक एवं जिला लोक संस्कृति उत्सवः

विषयवस्तु : राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक सौहार्द, सद्भावना एवं शांति

उद्देश्यः

⇒ जिले के पारंपरिक संस्कृति के बहुआयामी परिदृश्य को रेखांकित करना तथा विविध सांस्कृतिक गतिविधियों में युवाओं की प्रतिभागिता को बढ़ावा देना।

⇒ समृद्ध पारंपरिक लोक गीत, लोक नृत्य एवं लोक कलाओं पर प्रकाश डालना और उनका संरक्षण करना।

⇒ युवाजनों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना।

⇒ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक सौहार्द, सद्भावना एवं शांति को बढ़ावा देना।

स्तर : जिला

कार्यक्रम की अवधि : एक या दो दिन

विषय के बारे में :

जिला स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव में प्रत्येक कार्यक्रम प्रखंड से दो या तीन टीमें भाग लेंगी। इसी तरह से राज्य स्तरीय उत्सव में प्रत्येक जिले से एक या दो टीमें भाग लेंगी।

प्रत्येक कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्याः

- अधिकतम युवा कलाकारों/प्रस्तोताओं की प्रतिभगिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

बजट का निर्धारण :

प्रत्येक जिले में ब्लाक स्तरीय सांस्कृतिक उत्सवों का आबंटन जिले में ब्लाकों की संख्या और निम्नलिखित आधार पर किया गया है ।

प्रखंड सहित ब्लाक	प्रखंड स्तरीय सांस्कृतिक उत्सवों की संख्या	प्रखंड स्तरीय सांस्कृतिक उत्सवोंके लिए रू. 10000/- की दर से बजट	जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संख्या	प्रति जिला स्तरीय सांस्कृतिक उत्सवों के लिए रू. 20,000/- की दर से बजट
0 - 5	3	30,000.00	1	20,000.00
6 - 14	5	50,000.00	1	20,000.00
15 या इससे अधिक	8	80,000.00	1	20,000.00

13. जिला युवा पुरस्कार (व्यक्तिगत):

जिला युवा पुरस्कार कार्यक्रम के तहत, पुरस्कार उस युवा को दिया जाएगा, जिसने समाज सेवा और युवा विकास की गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। जिला युवा पुरस्कार के लिए विचार करते समय, स्वैच्छिक गतिविधियों के निष्पादन के दौरान उनके द्वारा प्रदर्शित नेतृत्व के गुण को भी ध्यान में रखा जाएगा। यह कार्यक्रम युवा स्वयंसेवकों एवं युवा नेताओं को उनकी निस्वार्थ सेवाओं तथा सामाजिक/विकास के मोर्चे पर उनके समर्पित सर्वोत्कृष्ट कार्यों के लिए सहयोग प्रदान करने का एक अवसर प्रदान करता है। पुरस्कार के लिए युवाओं के बारे में विचार करते समय उनके नवीनतम विचारों एवं पहल का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।

उद्देश्य, चयन की प्रक्रिया एवं पुरस्कार वितरण समारोह ठीक वैसे होंगे जैसे पिछले वर्ष थे।

बजट का निर्धारण:

प्रत्येक जिले में युवा पुरस्कारों की संख्या	**दर**	**प्रत्येक जिले के लिए राशि** (रुपए में)
02 (1:1 महिला पुरुष औसत)	5,000 प्रत्येक पुरस्कार के लिए	10,000.00

प्रत्येक जिला युवा पुरस्कार में एक प्रमाणपत्र एवं रु. 5,000/– की राशि शामिल होगी। **प्रत्येक नेहरू युवा केन्द्र केवल दो पुरस्कार एक युवती एवं युवक को ही प्रदान करेंगे**। ये पुरस्कार जहां एक ओर पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए एक प्रोत्साहन होंगे वहीं दूसरी ओर भविष्य में जिले के अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण बनेगा। **पुरस्कार की राशि केवल रेखांकित चेकों द्वारा ही प्रदान की जाएगी**।

14. (अ) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन

उद्देश्यः

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों एवं दिनों के महत्व, उद्देश्य, विषयवस्तु एवं उसके दर्शन के बारे में जागरुकता पैदा करना।

कार्यक्रम की विषयवस्तुः

प्रत्येक जिला नेहरू युवा केन्द्र निम्नलिखित सूची से कम से कम 10 महत्वपूर्ण दिनों को मनाएंगे–

दिन का नाम	प्रकृति
सद्भावना दिवस–20 अगस्त	अनिवार्य
हिन्दी दिवस–14 सितम्बर	अनिवार्य
गांधी जयंती–विश्व अहिंसा दिवस–2 अक्टूबर	अनिवार्य
नेहरू युवा केन्द्र संगठन स्थापना दिवस–14 नवम्बर	अनिवार्य
राष्ट्रीय एकीकरण दिवस (कौमी एकता दिवस)–19 नवम्बर	अनिवार्य
सतर्कता दिवस	अनिवार्य
निम्नलिखित में से कोई **चार** : 26 जनवरी/15 अगस्त (गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस), 5 दिसम्बर (अन्तर्राट्रीय स्वयं सेवक दिवस), 23 जनवरी (नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिन), 30 जनवरी (महात्मा गांधी का बलिदान दिवस), 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 8 मार्च (राष्ट्रीय महिला दिवस), 23 मार्च भगत सिंह जी का शहीदी दिवस, 14 अप्रैल (डा. अम्बेडकर जयन्ती) एवं स्थानीय जरूरत के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण दिन	

कार्यक्रम की अवधि : प्रत्येक एक दिन

प्रत्येक कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्याः

कम से कम 100 (प्रत्येक कार्यक्रम को मनाने के दौरान युवाओं एवं समाज के हर वर्ग के सम्माननीय लोगों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए)

बजट का निर्धारणः

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	स्तर	बजट (रुपए में)
1	महत्वपूर्ण राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय दिवसों/सप्ताहों का आयोजन	जिला स्तर	42,000/–

15. राष्ट्रीय युवा दिवस एवं सप्ताह का आयोजन (12 जनवरी से 19 जनवरी)

उद्देश्य:

राष्ट्रीय युवा दिवस एवं सप्ताह के बारे में और विशेषकर स्वामी विवेकानंद के दर्शन एवं शिक्षाओं के बारे में युवाओं के बीच जागरुकता पैदा करना।

कार्यक्रम की अवधि : 08 दिन (**राष्ट्रीय युवा सप्ताह के आयोजन के कैलेंडर के अनुसार**)

प्रत्येक कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या :

कम से कम 100 (प्रत्येक कार्यक्रम को मनाने के दौरान युवाओं एवं समाज के हर वर्ग के सम्माननीय लोगों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए)

आयोजन की अवधि:

सभी नेहरू युवा केन्द्र विभिन्न प्रखंडों में 12 से 19 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा दिवस एवं सप्ताह का आयोजन करेंगे। प्रत्येक राष्ट्रीय सेवा कर्मी प्रखंड में कम से कम एक मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा एवं किसी भी युवा मंडल में एक से अधिक कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जाएगा।

एकक बजट :

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	स्तर	राशि (रुपए में)
1	राष्ट्रीय युवा दिवस एवं सप्ताह का अयोजन	प्रखंड एवं जिला स्तर	16,000/–

टिप्पणी : राशि निम्नलिखित के अनुसार व्यय की जाएगी:

- राष्ट्रीय युवा सप्ताह के प्रत्येक दिन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
- जलपान, आयोजन व्यय, पुरस्कार आदि में राशि व्यय की जाएगी।

16. कार्य शिविर:

इस कार्यक्रम का उद्देश्य है युवा मंडलों के सदस्यों के बीच स्वयंसेवा एवं सहयोग की भावना का विकसित करना।

कार्य शिविरों का आयोजन इस तरह से किया जाएगा जिससे युवाओं में सामाजिक एवं नागरिक दायित्व की भावना का विकास हो सके तथा सामुदायिक परिसम्पत्ति का निर्माण हो सके तथा सामुदायिक प्रतिभागिता को बढ़ावा मिले।

शिविर की अवधि : 05 दिन

प्रत्येक शिविर में प्रतिभागियों की संख्या : –30 (1:1 के अनुपात में महिला एवं पुरुष)

बजट का निर्धारण:
एक जिले में कार्यशिविरों की संख्या निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की गई है:–

जिले में प्रखंड	**कार्यक्रमों की संख्या**	**बजट : रु. 20,000 की प्रति कार्य शिविर की दर से**	**टिप्पणी**
0–5	3	60,000.00	बजट का उपयोग सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करने तथा कच्ची सामग्री की खरीद, प्रतिभागियों के लिए आवास एवं भोजन व्यवस्था एवं आयोजन संबंधी खर्च इत्यादि के लिए किया जाएगा।
6–14	5	1,00,000.00	
15 या अधिक	8	1,60,000.00	

टिप्पणी : महानगरीय नेहरू युवा केन्द्रों में कार्य शिविर संभव नहीं है। इसलिए केन्द्रों को इसी राशि का परियोजना प्रस्ताव संबंधित मंडल निदेशक के पास स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे।

प्रस्ताव के लिए विषयवस्तु की सूची, केवल उदाहरण के लिए:

यद्यपि कार्यक्रम के लिए विषय पूरी तरह से युवा मंडलों की स्थानीय जरूरत के अनुरूप होंगे, फिर भी कोई गलतफहमी न रह जाए, इसलिए उदाहरण के रूप में कुछ विषयों की सूची निम्नवत है:–

- उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
- संसाधन संवर्धन तकनीक
- संवाद कुशलता
- मल्टी मीडिया
- परियोजना तैयार करना
- अभिलेख तैयार करने की तकनीक
- समन्वय की रणनीति
- समय प्रबंधन
- कैरियर परामर्श एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन
- मुद्दे पर आधारित कौशल प्राप्त करना
- प्रतिभागी अनुसंधान
- विरोध एवं विवाद निपटान क्षमता
- सामाजिक विकास कार्यक्रम यथा–स्लम क्षेत्र में सफाई एवं स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य एवं वातावरण शिक्षा।

उपरोक्त सूची सिर्फ उदाहरण के लिए है। युवा समन्वयक अपने स्तर पर अपनी जरूरत के अनुसार उपरोक्त सूची के अलावा भी कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं।

गतिविधियां :

⇒ परियोजना कार्य(श्रमदान)

⇒ समूह चर्चा/शैक्षिक सत्र

⇒ सांस्कृतिक कार्यक्रम

⇒ सामुदायिक गान

⇒ कैम्प फायर

जो परियोजनाएं नहीं ली जाएंगीः
कच्ची सड़क का निर्माण, गलियों एवं नालों की सफाई, पेड़ लगाना, सोख्ता गड्ढों की खुदाई करना इत्यादि कार्य कार्य शिविर में नहीं किए जाएंगे।

टिप्पणी :

⇒ युवा समन्वयक कार्य शिविरों के आयोजन के दौरान सामुदायिक सम्पत्तियों का निर्माण करेंगे, जिसमें युवा मंडल का भवन, मकान/झोपड़े (जिन्हें प्राकृतिक/मानवजन्य आपदाओं ने नष्ट कर दिया हो) इत्यादि शामिल हैं।

⇒ यदि युवा समन्वयक एक बड़ी परियोजना हाथ में लेते हैं जो एक कार्यशिविर में संभव नहीं है तो दो कार्यशिविरों को एक साथ जोड़कर कार्य को सम्पन्न किया जा सकता है, जिसके लिए मंडल निदेशक की स्वीकृति आवश्यक होगी।

⇒ यदि आवास एवं भोजन की व्यवस्था अथवा कच्चे सामग्री की पूर्ति स्थानीय संसाधनों से पूरी हो जाती है तो इससे बचे हुए धन को शिविर के दूसरे हेड में प्रयोग किया जा सकता है।

17. जिला युवा सम्मेलन

इस कार्यक्रम का लक्ष्य है सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों से परिचित कराना। इसके अलावा, इन कार्यक्रमों में जिले स्तर पर युवा नेताओं, विभिन्न विकास एजेंसियों के प्रतिनिधियों एवं मीडिया के लोगों को चल रहे और नए शुरू होने वाले कार्यक्रमों एवं योजनाओं के बारे में सूचना एवं ओरिएंटेशन प्रदान किया जाएगा।

उद्देश्यः

⇒ युवाओं को ओरिएंटेशन देना, अनुभवों का आदान–प्रदान तथा सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जानकारी प्रदान करना आदि।

⇒ लोगों और विशेषकर युवाओं के बीच में प्राप्त जानकारी को प्रसारित करने के लिए युवाओं का तैयार करना।

सम्मेलन की अवधिः –01 दिन

सम्मेलन में प्रतिभागियों की संख्या : 100 (1:1 महिला एवं पुरुषों का औसत) जिले के समस्त भागों के प्रतिनिधित्व

एक जिले में कार्यक्रमों की संख्या : एक

ईकाई बजट : रु. 20,000/–
(बजट का प्रयोग जलपान एवं आयोजन के व्यय में किया जाएगा)

भाग – VI अन्य

18. युवा कार्यक्रम पर जिला सलाहकार समिति की बैठक :

युवा कार्यक्रम पर जिला सलाहकार समिति युवा विकास के लिए विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों के साथ बेहतर सम्पर्क सुनिश्चित करती है । युवा कार्यक्रम पर जिला सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजन करते समय र्वा 2006 - 07 के दौरान प्रसारित संचालन योजना का पालन किया जाए ।

उद्देश्य	ठीक वैसेही रहेगा जैसा पिछले र्वा था
प्रतिभागियों की संख्या	युवा कार्यक्रम पर जिला सलाहकार समिति के गठन के अनुसार

बजट :

प्रत्येक जिला नेहरू युवा केन्द्र में बैठकों की संख्या	प्रत्येक जिला नेहरू युवा केन्द्र के लिए बजट (रूपये में)	इस राशि का उपयोग जलपान एवं अन्य आयोजन संबंधी व्यय के लिए किया जाए ।
न्यूनतम बैठकें	4,000.00	इस राशि का उपयोग जलपान एवं अन्य आयोजन संबंधी व्यय के लिए किया जाए ।

19. अभिलेखीकरण :

उद्देश्य
सुव्यवस्थित अभिलेख को तैयार करना है । (साफ्ट एवं हार्ड दोनों प्रकार से) इसमें जिला प्रोफाईल, डाटा बेस, नेहरू युवा केन्द्र द्वारा विगत र्वा के दौरान आयोजित कार्यक्रम एवं गतिविधियों के पेपर कटिंग, एक्शन फोटो आदि शामिल है ।

प्रत्येक जिले के लिए बजट : रु. 5000/–

टिप्पणीः
अभिलेख तैयार करते समय अधिकतम ध्यान दिया जाएगा। अभिलेख जरूरत के अनुसार हों और प्रयोग करने वाले के लिए आसान हों जिससे उसमें कार्यक्रम सहित जिले की सभी महत्वपूर्ण सूचनायें समाहित की जा सकें। इसे साफ–साफ टाइप (कम्पयूटर पर) होना चाहिए। उसकी कुछ प्रतियां जिला प्रशासन को भी भेजी जानी चाहिए।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम

भाग I युवा कार्यक्रमों के बारे में

1. युवाओं के लिए हस्तशिल्प प्रदर्शनी (युवाकृति) एवं राज्य स्तरीय उत्सव—मंडल स्तरीय

उद्देश्यः

⇒ युवाओं की सहज प्रतिभा को प्रोत्साहित करना।

⇒ पारंपरिक एवं ग्रामीण हस्तशिल्प को प्रोत्साहन प्रदान करना।

⇒ ग्रामीण युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना और उनको बढ़ावा देना।

⇒ युवाओं को स्वावलम्बी रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण बाजार को बढ़ावा देना।

⇒ राज्य के बहुआयामी सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करना तथा युवाओं को विविध सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रतिभागिता के लिए बढ़ावा देना।

⇒ लोकगीत, लोकनृत्य एवं लोक कलाओं को प्रस्तुत करना तथा उनका संरक्षण करना।

⇒ युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना।

⇒ राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सौहार्द, सद्भावना एवं शांति को बढ़ावा देना।

विषयः

⇒ स्थानीय हस्तशिल्प/स्वयं सहायता समूहों के हस्तशिल्पों का प्रदर्शन

⇒ हस्तशिल्प में कलाकारों द्वारा अपनी प्रतिभा का जीवंत प्रदर्शन।

⇒ ई—मार्केटिंग

⇒ गुणवत्ता नियंत्रण।

⇒ लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

कार्यक्रम की अवधिः —3 दिन

प्रतिभागियों की संख्या : मंडल के सभी जिला नेहरू युवा केन्द्रों से प्रतिभागियों की संख्या मंडल निदेशकों द्वारा तय की जाएगी। लेकिन प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक संख्या में युवा कलाकारों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जा सके।

कार्यक्रमों की संख्याः 28 (01 प्रत्येक मंडल में)

बजटः रु. 4,00,000/—
(यह राशि आवास एवं भोजन, यात्रा भत्ता, स्टॉल लगाने, आयोजन संबंधी व्यय, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच आदि तैयार करने में किया जाएगा)।

स्टॉल पर प्रदर्शन : कम से कम 25 स्टॉल
सांस्कृतिक टीम : कम से कम 25 टीम

अतिरिक्त कथन : प्रतिभागिता के लिए उन स्वयं सहायता समूहों को वरीयता दी जाएगी, जिनके पास व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र होंगे।

फॉलोअप : युवाकृति के फॉलोअप के रूप में ग्रामीण विपणन नेटवर्क तैयार किया जाना चाहिए।

संदर्भ एजेंसियों/संस्थानों के साथ समन्वयः राज्य के लघु उद्योगों, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, गैर सरकारी संगठन, हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट विभाग, संस्कृति विभाग इत्यादि

2. राज्य युवा पुरस्कार (व्यक्तिगत) : राज्य/संघक्षेत्र

राज्य युवा पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कार उन युवाओं को दिया जाएगा, जिन्होंने समाज सेवा/विकास की गतिविधियों के क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में युवा कार्यों के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राज्य युवा पुरस्कार के लिए युवाओं के बारे में विचार करते समय स्वैच्छिक कार्यों के दौरान उनके द्वारा प्रदर्शित नेतृत्व के गुणों को एक मानदण्ड के रूप में देखा जाए। राज्य स्तर पर पुरस्कार के लिए जिले स्तर पर पुरस्कृत युवाओं पर विचार किया जाएगा।

बजट का विवरण :

पुरस्कारों की संख्या	**दर** (रुपए में)	**राशि** (रुपए में)
02 (1:1 महिला पुरूष औसत)	रु. 15,000/– प्रत्येक पुरस्कार के लिए	रु. 30,000/–

राज्य युवा पुरस्कार में एक प्रमाणपत्र तथा रु. 15,000/– की राशि शामिल होगी। प्रत्येक राज्य/संघक्षेत्र केवल दो पुरस्कार देंगे एक महिला को तथा एक पुरुष को। ये पुरस्कार विजेताओं के लिए जहां प्रोत्साहन का कारण बनेंगे वहीं पर भविष्य में राज्य के अन्य लोगों के लिए भी उदाहरण बनेंगे।

पुरस्कार वितरण समारोह (व्यक्तिगत):

राज्य युवा पुरस्कार समारोह का आयोजन नेहरू युवा केन्द्र संगठन के स्थापना दिवस पर यानी 14 नवम्बर को किया जाएगा। उत्कृष्ट युवा मंडल के लिए पुरस्कार कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार भी इसी समारोह में प्रदान किये जाएंगे। पुरस्कार विजेताओं के लिए यात्रा एवं दैनिक भत्ता तथा आवास एवं भोजन व्यवस्था राज्य स्तर पर युवा मंडलों के पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन हेतु निर्धारित बजट की राशि से किया जाएगा।

चयन की प्रक्रिया तथा संचालन का विवरण गत वर्ष की भांति ही रहेगा।

3. समीक्षा सह योजना बैठकः

उद्देश्य:

- नेहरू युवा केन्द्र संगठन के चल रहे कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की समीक्षा एवं सकारात्मक सुधार की सलाह।
- युवा विकास के लिए नई योजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार करना, युवा मंडलों के मौजूदा नेटवर्क को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्हें मजबूत बनाने हेतु सुदृढ़ करने संबंधी सुझाव।
- युवा विकास के कार्यक्रमों के बारे में सरकार की चल रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों (केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर) के बारे में सूचनाओं का आदान–प्रदान करना एवं त्वरित समन्वयन।

कार्यक्रम की विषयवस्तु

- जरूरत पड़ने पर कार्यान्वयन हेतु आपातकालीन योजना एवं रणनीति।
- माइक्रो प्लान तैयार करना।
- प्रस्तावित गतिविधियों की वरीयता तय करना।
- युवा मंडलों की वर्ष पर्यंत चलने वाली गतिविधियों की सूची तैयार करना।
- उसकी साथ–साथ मॉनिटरिंग एवं समीक्षा।

संचालन का विवरण:

- यह मंडल निदेशक का विशेषाधिकार होगा कि वह जरूरत के अनुसार इन बैठकों को बुलाये।

बैठक की अवधि: 01 दिन

प्रत्येक बैठक में प्रतिभागियों की संख्या : सभी उपनिदेशक एवं जिला युवा समन्वयक

एक मंडल में बैठकों की संख्या : 04

प्रत्येक मंडल में चार बैठकों के लिए बजट : मंडल के प्रत्येक उपनिदेशक एवं जिला युवा समन्वयक के लिए रु. 200/– की दर से।

4. युवा कार्यक्रम पर राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक :

राज्य स्तरीय युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठकें न केवल राज्य स्तरीय विकास एजेंसियों के साथ टूटी कड़ियों को जोड़े रहने का माध्यम हैं, बल्कि विविध सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों के साथ राज्य में युवा विकास के बेहतर सम्पर्क बनाने में भी मददगार हैं। वर्ष 2006–07 के दौरान प्रसारित संचालन की योजना का राज्य स्तरीय युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठकों के आयोजन में पालन किया जाना चाहिए।

बैठक की अवधि : 1/2 दिन

राज्य स्तर पर प्रति बैठक प्रतिभागियों की संख्या : राज्य स्तरीय युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक के संविधान के अनुसार

बजट का विवरण:

बैठकों की संख्या	राशि रू. 3000 की दर से प्रति बैठक (रू. में)	टिप्पणी
कम से कम दो बैठकें	रू. 6000/–	राशि का उपयोग हाई टी. जलपान एवं अन्य आयोजन संबंधी व्यय जिसमें फाइल फोल्डर, राइटिंग पैड, पेन, संदर्भ सामग्री, फोटोग्राफ आदि शामिल हों, पर खर्च की जाएगी।

5. अभिलेखीकरण:

उद्देश्य :

- सुव्यवस्थित अभिलेख (हार्ड एवं साफ्ट दोनों तरह से) तैयार करना, जिसमें गत वर्ष के दौरान नेहरू युवा केन्द्र द्वारा आयोजित की गई गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के समाचारपत्रों की कतरने, कार्यचित्र, आंकड़े, राज्य की प्रोफाइल आदि शामिल हो।

प्रत्येक मंडल के लिए बजट : रू. 20,000/–

टिप्पणी :

अभिलेख तैयार करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जाएगी। अभिलेख सुव्यस्थित एवं प्रयोग करने में आसान हो, जिसमें राज्य की सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं ले ली गई हों। इसे साफ–साफ टाइप (कंप्यूटर से) किया होना चाहिए। इसकी कुछ प्रतियां राज्य के अधिकारियों को भी भेजी जानी चाहिए।

कुछ अन्य जानकारी, आपेक्षित परिणाम एवं संदर्भ एजेंसियों/संस्थानों के साथ समन्वय गत वर्ष की भांति ही रहेगा।

****

राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम

राष्ट्रीय एकीकरण, साम्प्रदायिक सौहार्द, सद्भावना एवं शान्ति

1. राजीव गांधी साहसिक योजना

ग्रामीण युवाओं में एडवेंचर की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष एडवेंचर शिविरों की योजना बनाई गई है जिसमें हर वर्ष 1000 नेहरू युवा केन्द्र के स्वयंसवेक भाग लेंगे, जिनमें से आधी संख्या बालिकाओं की होगी। इसके लिए स्वयंसेवकों का चयन कार्यक्रम अनुभाग, नेहरू युवा केन्द्र संगठन मुख्यालय द्वारा किया जाएगा जिसमें सभी राज्य एवं संघक्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्वयंसेवकों के चयन की प्रक्रिया कार्यक्रम अनुभाग द्वारा अलग से क्षेत्र के अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। प्रत्येक एडवेंचर शिविर 10 दिन की अवधि (यात्रा के समय को छोड़कर) का होगा। कुछ ऐसे भी शिविरों की योजना बनाई गई है, जिसमें 100% प्रतिभागिता महिलाओ की होंगी। ये शिविर प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के बीच, स्कीइंग को छोड़कर आयोजित किए जाएंगे। इसका आयोजन दिसम्बर महीने में किया जाएगा। इन शिविरों में एडवेंचर की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें ट्रेकिंग (पर्वत एवं मरूस्थल), ह्वाइल वाटर राफ्टिंग पैरासेलिंग, पैरा ग्लाइडिंग एवं बेसिक स्कीइंग शामिल होंगी। ये शिविर मंत्रालय के निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ मिलकर आयोजित किए जाएगेः

- भारतीय पर्वतारोहण संस्थान
- हिन्दुस्तान माउंटेनयरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग
- एनएमआई, उत्तरकाशी
- डब्ल्यूएचएमआई, मनाली
- जवाहर इंस्टीट्यूट आफ माउंटेनयरिंग, जम्मू एंड कश्मीर
- नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन
- सी एक्सप्लोरर्स इंस्टीट्यूट, कोलकाता

भारतीय पर्वतारोहण संस्थान (आईएमएफ) जोकि भारत में एडवेंचर गतिविधियों के लिए शीर्ष संस्थान है, एक इसमें मुख्य भूमिका निभाएगा और देश के अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ मिलकर एडवेंचर की गतिविधियों का आयोजन करेगा। इंडियन माउंटेनयरिंग फाउंडेशन इस संबंध में नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना एवं राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास केन्द्र के लिए गतिविधियों का आयोजन करने हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ गठित करेगा। इस प्रकोष्ठ की वही स्थिति और मान्यता होगी जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रशिक्षण एवं ओरिएंटेशन केन्द्र की होती है और उसकी स्थापना का पूर्ण व्यय नेहरू युवा केन्द्र द्वारा वहन किया जाएगा। इस संबंध में खर्च को प्रतिवर्ष रु. 10 लाख तक सीमित किया गया है।

भारतीय पर्वतारोहण संस्थान (आईएमएफ) शिविरों के आयोजन के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार होगा एवं नेहरू युवा केन्द्र संगठन मुख्यालय के कार्यक्रम अनुभाग एवं एडवेंचर संस्थान के परामर्श से अग्रिम में अनुसूची तैयार करेगा। वे चयनित स्वयंसेवकों एवं नेहरू युवा केन्द्र संगठन मुख्यालय के कार्यक्रम अनुभाग को मूल निर्देश भी दे सकते हैं । प्रत्येक एडवेंचर शिविर 10 दिन की अवधि का होगा (यात्रा की अवधि को छोड़कर) एवं उसमें 20 से 30 स्वयंसेवकों का जत्था शामिल होगा। भारतीय पर्वतारोहण संस्थान को नेहरू युवा केन्द्र संगठन पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में रु. 500/– प्रति स्वयंसेवक प्रतिदिन की दर से एडवेंचर शिविरों के आयोजन के लिए धन उपलब्ध कराएगा, जिसमें आवास एवं भोजन, पाठ्यक्रम सामग्री, संयंत्र, विशेष कपड़े, पोर्टरेज, जीवन बीमा, प्राथमिक चिकित्सा की दवाइयां एवं संवाद की सुविधायें शामिल होंगी। एडवेंचर संस्थान टेंट, रक–सक, स्लीपिंग बैग, कैरी मैट, विंडप्रूफ जैकेट एवं तकनीकी उपकरण इत्यादि भी उपलब्ध करायेंगे।

प्रत्येक 10 स्वयंसेवकों के साथ सम्पर्क अधिकारी के रूप में एक जिला युवा समन्वयक/उपनिदेशक रहेगा (महिला स्वयंसेवकों की स्थिति में महिला जिला युवा समन्वयक)। शिविर के दौरान सम्पर्क अधिकारी का पूरा आवास एवं भोजन का खर्च स्वयंसेवकों, सम्पर्क अधिकारियों के यात्रा व्यय तथा स्वयं सेवकों को वर्दी के लिए व्यय के एक हिस्से के रूप में भारतीय पर्वतारोहण संस्थान/एडवेंचर संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा।

बजट : 20 स्वयंसेवकों के लिए एडवेंचर शिविर

क्र. सं.	विवरण	दर (रुपए में)	राशि (रुपए में)
1.	पाठ्यक्रम शुल्क	रु. 500X20 X10	1,00,000
2.	स्वयंसेवक का यात्रा भत्ता रु. 1000/– प्रति स्वयंसेवक (वास्तविक खर्च के आधार पर)	रु. 1000 X20	20,000
3.	यात्रा प्रासंगिक भत्ता रु. 100 प्रति दिन प्रति स्वयंसेवक की दर से	रु. 100 X 20 X3	6,000
4.	सम्पर्क अधिकारी का यात्रा भत्ता	रु. 3000 X2	6,000
5.	सम्पर्क अधिकारी का मानदेय	रु. 2000 X2	4,000
6.	वर्दी (ट्रैक सूट एवं जूते)	रु. 1500 X 20	30,000
कुल			1,66,000
1000 प्रतिभागियों के लिए राशि		**1,66,000X50 शिविर**	**83,00,000**

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए युवा उत्सव

भारत का सुरम्य पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें 8 राज्य आते हैं, न केवल प्रकृति का वरदान है, बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों का खजाना भी है। इस हिस्से की मिलीजुली संस्कृति अपनी अभिव्यक्ति कला, शिल्प, संस्कृति और संगीत संयोजन के माध्यम से करती है। हाल में ही इस क्षेत्र से अनेक प्रतिभायें उभरकर बाहर आयी हैं, तथापि उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए उचित मंच न होने तथा उनके प्रदर्शन के लिए बड़े स्तर पर मंच के अभाव के कारण स्थानीय स्तर पर उनकी प्रतिभा दबी रह जाती है। इसी कारण से यह आवश्यकता महसूस की गई कि ऐसी प्रतिभाओं को एक ऐसा मंच प्रदान किया जाए जहां वे न केवल देश के बल्कि दुनिया भर से ज्यादा दर्शक पा सकें, जो उनकी सराहना कर उनका उत्साहवर्धन करें, बल्कि ऐसे लोग भी उन्हें देखें जो उनकी कला की बारीकियों के बारे में बताकर उनके प्रदर्शन को सुधारने में मदद करें।

इसे ध्यान में रखते हुए नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने पूर्वोत्तर क्षेत्र राष्ट्रीय युवा उत्सव का प्रस्ताव किया है जिसका उद्देश्य है इन दोनों उत्तर–पूर्व के लोगों के साथ ही देश के अन्य हिस्से के लोगों को भी विविध सांस्कृतिक रूचि, भाषा, जीवन शैली, पाककला, पहनावे वाले विभिन्न क्षेत्रों तथा सांस्कृतिक स्मारक, खाली समय की गतिविधियों के दर्शन करने का अवसर उपलब्ध कराना। इसी के साथ ही उन्हें एक दूसरे की संस्कृति एवं परम्परा के साथ–साथ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे बदलाव को जानने–समझने तथा सराहने का अवसर प्रदान करना तथा देश के दूसरे क्षेत्र के लोगों से मित्रता बढ़ाने और वर्षों–वर्षों तक बनाये के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का लक्ष्य है।

इस उत्सव के लिए तिथि एवं स्थान का निर्णय बाद में किया जाएगा। कुल 35 राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों के कुल 500 युवा इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

कार्यक्रम एवं गतिविधियांः

बहु सांस्कृतिक कार्यक्रम	युवा–कृति
एडवेंचर	युवा कलाकार शिविर
सांस्कृतिक संध्या	सेमिनार

बजटः रु. 10,00,000/–

3. नेहरू युवा केन्द्र संगठन स्थापना दिवस/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का आयोजनः

उद्देश्यः राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के महत्व, उद्देश्य, विषयवस्तु तथा दर्शन के बारे में जागरुकता फैलाना।

कार्यक्रम की विषयवस्तुः

निम्नलिखित सूची से **पांच** महत्वपूर्ण दिवसों को मनाया जाएगाः

महत्वपूर्ण दिवस

1. सद्भावना दिवस –20 अगस्त
2. गांधी जयंती (विश्व अहिंसा दिवस) –2 अक्टूबर
3. कौमी एकता दिवस –19 नवम्बर
4. नेहरू युवा केन्द्र संगठन स्थापना दिवस –14 नवम्बर
5. शहीदी दिवस –30 जनवरी

कोई एक :

विश्व एड्स दिवस –1 दिसम्बर
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस –8 मार्च
राजगुरू, भगत सिंह एवं सुखदेव का बलिदान दिवस –23 मार्च
डा. अम्बेडकर जयन्ती - 14 अप्रैल

कार्यक्रम की अवधिः एक दिन प्रत्येक

प्रति कार्यक्रम प्रतिभागियों की संख्याः कम से कम 200 युवा नेता (1:1 महिला पुरुष औसत)

कार्यक्रमों की संख्याः कम से कम पांच महत्वपूर्ण कार्यक्रम

बजटः रु. 10,00,000/–

(इस राशि का उपयोग जलपान, बसों का किराया, आयोजन व्यय इत्यादि में किया जाएगा)।

4. आवश्यकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम

उद्देश्यः

⇒ स्थानीय जरूरत आधारित परियोजनाओं की मदद करना।

⇒ नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा अन्य मंत्रालय/संस्थाओं की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आवश्यकता आधारित अंशदान राशि की प्रतिपूर्ति करने बाबत ।

⇒ प्राकृतिक आपदा, मानवजन्य आपदा अथवा विशेष परिस्थितियों में परियोजनायें शुरू करने के लिए क्षेत्र के कार्यालयों को वित्तीय सहायता करना।

राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों की संख्या : परियोजना की प्रकृति पर आधारित

टिप्पणीः

- **मंडल निदेशक/उपनिदेशक/जिला युवा समन्वयक स्थानीय पहल एवं इच्छा के आधार पर स्थानीय जरूरत के मुताबिक वित्तीय सहायता हेतु की जा सकने व्यवहारिक परियोजनायें प्रस्तुत कर सकते हैं।.**
- **परियोजना को महानिदेशक की अध्यक्षता वाली समिति स्वीकृति प्रदान करेगी ।**

बजट : रु. 50,00,000/–

****

नियमित कार्यक्रम (501 नेयुके)

जिला स्तरीय नियमित कार्यक्रम

(2010-11)

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	ईकाई	राट्रीय लक्ष्य		जिला नेयुके के लिए कम से कम कार्यक्रम (लक्ष्य)						प्रति कार्यक्रम व्यय (रू. में)	स्तर	समय सीमा
			वास्तविक	वित्तीय (रू. में)	ब्लाक सहित जिला								
					0-5		6-14		15 एवं अधिक				
					वास्तविक	वित्तीय (रू. में)	वास्तविक	वित्तीय (रू. में)	वास्तविक	वित्तीय (रू. में)			
युवा ह्मस्र्व कार्यक्रह्म													
1.	युवा मण्डल सम्पर्क एवं फीडबेक कार्यक्रम	युवा मण्डल	300000	10000000	-	-	-	-	-	-	-	ब्लाक/ गांव	प्रथम एवं दूसरी तिमाही
2.	युवा नेताओं की बैठकें	बैठकें	2601	5202000	3	6000	5	10000	8	16000	2000	जिला/ उप जिला/ब्लाक	प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक
3.	युवा मण्डल आदान - प्रदान कार्यक्रम	आदान - प्रदान कार्यक्रम	251	17500000	-	-	-	-	-	-	-		दूसरी एवं तीसरी तिमाही
4.	युवा मण्डलों को सहायता अनुदान (एफएवाईसी, आरएससी, एओवाईसी, वाईडीसी एवं आरआईटीवाईडीसी)	युवा मण्डल	परियोजना प्रस्ताव के अनुसार	26596000	-	-	-	-	-	-	-		दूसरी एवं चौथी तिमाही
युवाओं का क्षह्मस्रा ग्रिर्ह्माऱ्													
5.	युवाओं का क्षमता निर्माण	प्रशिक्षण	परियोजना प्रस्ताव के अनुसार	50100000	प्रत्येक जिला नेयुके रू. 1,00,000/- का 110 युवाओं के प्रशिक्षण के लिए परियेजना प्रस्ताव तैयार करेंगे और उसे संबंधित मण्डल निदेशक को प्रस्तुत करेंगे । अनुमोदन के पश्चात जिला नेयुके प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे ।							जिला	दूसरी एवं तीसरी तिमाही
कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम													
6.	**200 सीमावर्ती प्रदेशों/ आदिवासी क्षेत्रों/अन्य पिछड़े जिलों में**	प्रशिक्षण		20000000									

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	ईकाई	राट्रीय लक्ष्य		जिला नेयुके के लिए कम से कम कार्यक्रम (लक्ष्य)						प्रति कार्यक्रम व्यय (रू. में)	स्तर	समय सीमा
			वास्तविक	वित्तीय (रू. में)	ब्लाक सहित जिला								
					0-5		6-14		15 एवं अधिक				
					वास्तविका	वित्तीय (रू. में)	वास्तविक	वित्तीय (रू. में)	वास्तविक	वित्तीय (रू. में)			
	महिलाओं के लिए कौशल संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम												
(i)	दीर्घ आवधिक 2,00,000 (50% लागत प्रत्येक प्रतिभागी से उपभोक्ता प्रभार/ शुल्क के माध्यम से पूरी की जाए)	प्रशिक्षण	1000 (5 in each 200 Border/tribal/backward Districts)	-	-	-	-	-	-	-		गांव / ब्लाक	प्रथम तिमाही में केन्द्र में प्रचालन आरंभ हो जाना चाहिए
(II)	अल्प आवधिक 1,00,000 (50% लागत प्रत्येक प्रतिभागी से उपभोक्ता प्रभार/ शुल्क के माध्यम से पूरी की जाए)	प्रशिक्षण	1200 (6 in each 200 Border/tribal/backward Districts	-	-	-	-	-	-	-		गांव/ ब्लाक	दूसरी एवं तीसरी तिमाही
7.	50 जिलों में 200 जिलों के प्रतिभागियों को कवर करते हुये एनसीवीटी योजना के अर्न्तगत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण	5000 युवा	57600000	-	-	-	-	-	-	-	ब्लाक/ जिला	दूसरी, तीसरी, एवं चौथी तिमाही
खॢँ प्रॉञ्ज्रख्रि कार्यक्रह्म													
8.	युवा मण्डलों के लिए खेल सामग्री का प्रावधान	खेल सामग्री	50058	100116000	78	156000	98	196000	128	256000	2000	गांव	प्रथम तिमाही
9.	ब्लाक खेल टूर्नामेन्ट	टूर्नामेन्ट्स	2601	39015000	3	45000	5	75000	8	120000	15000	ब्लाक	दूसरी एवं तीसरी तिमाही
10.	जिला खेल टूर्नामेन्ट	टूर्नामेन्ट्स	501	20040000	1	40000	1	40000	1	40000	40000	जिला	
राट्रीय एकीकरस़्ख, साह्मुग़ायिक सॉव़्र्ग़, सऱ्भावज्रा एवं शांख्रि													
11.	ब्लाक लोक सांस्कृतिक उत्सव	उत्सव	2601	26010000	3	30000	5	50000	8	80000	10000	ब्लाक	दूसरी एवं

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	ईकाई	राट्रीय लक्ष्य		जिला नेयुके के लिए कम से कम कार्यक्रम (लक्ष्य)						प्रति कार्यक्रम व्यय (रू. में)	स्तर	समय सीमा
			वास्तविक	वित्तीय (रू. में)	ब्लाक सहित जिला								
					0-5		6-14		15 एवं अधिक				
					वास्तविक	वित्तीय (रू. में)	वास्तविक	वित्तीय (रू. में)	वास्तविक	वित्तीय (रू. में)			
12.	जिला लोक सांस्कृतिक उत्सव	उत्सव	501	10020000	1	20000	1	20000	1	20000	20000	जिला	तीसरी तिमाही
13.	जिला युवा पुरस्कार (व्यक्तिगत)	पुरस्कार	1002	5010000	2	10000	2	10000	2	10000	5000	जिला	दूसरी एवं तीसरी तिमाही
14.	महत्वपूर्ण राट्रीय/अन्तर्राट्रीय सप्ताह/दिवसों का आयोजन	दिवसों का आयोजन	5010	21042000	10	42000	10	42000	10	42000	42000 per NYK	जिला/ उप जिला/ ब्लाक	डीएसीवाईपी/ एएपी द्वारा स्वीकृत
15.	राट्रीय युवा दिवस/सप्ताह का आयोजन	युवा सप्ताह का आयोजन	4008	8016000	8	16000	8	16000	8	16000	16000 per NYK	जिला/ उप जिला/ ब्लाक	चौथी तिमाही
16.	कार्य शिविर	शिविर	2601	52020000	3	60000	5	100000	8	160000	20000	जिला/ उप जिला/ ब्लाक/ गांव	दूसरी/ तीसरी तिमाही
17.	जिला युवा सम्मेलन	सम्मेलन	501	10020000	1	20000	1	20000	1	20000	20000	जिला	चौथी तिमाही
अन्य													
18.	युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समिति की बैठक (डीएसीवाईपी)	बैठक	2004	2004000	4	4000	4	4000	4	4000	1000	जिला	प्रत्येक तिमाही में एक
19.	अभिलेखीकरण	रिपोर्ट समेकित करना	501	2505000	1	5000	1	5000	1	5000	5000	जिला	चौथी तिमाही
	कुल योग			**482816000**		**554000**		**688000**		**889000**			

राज्य स्तरीय नियमित कार्यक्रम
(2010-11)

क्रम. सं.	कार्यक्रम का नाम	ईकाई	राट्रीय लक्ष्य		मण्डल के लिए कम से कम कार्यक्रम (लक्ष्य)	प्रति कार्यक्रम व्यय (रू. में)	स्तर	समय सीमा
			वास्तविक	वित्तीय (रू. में)				
युवा कार्यक्रमों के बारे में								
1.	युवाओं के लिए हस्तशिल्प प्रदर्शनी (युवा कृति) एवं राज्य स्तरी सांस्कृतिक उत्सव	प्रदर्शनी एवं उत्सव	28	11200000	1	4,00,000	मण्डल	तीसरी तिमाही
2.	राज्य युवा पुरस्कार (व्यक्तिगत)	पुरस्कार	70 (2 प्रति राज्य/के.शा.प्र.)	1050000	2	15,000	राज्य/केन्द्र शासित	दूसरी/तीसरी तिमाही
3.	समीक्षा सह योजना बैठक	बैठक	112	400000	-	रू. 200 की दर से प्रति उपनिदेशक एवं जिला युवा समन्वयक	मण्डल	प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक
अन्य								
4.	युवा कार्यक्रमों पर राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक (एसएसीवाईपी)	बैठक	58	174000	2	3,000	राज्य	एक तिमाही छोड़कर अगली तिमाही में एक
5.	अभिलेखीकरण	रिपोर्ट समेकन करना	28	560000		20000	मण्डल	चौथी तिमाही
	कुल			**13384000**				

राट्र स्तरीय नियमित कार्यक्रम

(2010-11)

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	ईकाई	कार्यक्रमों की संख्या	कुल बजट (रू.)	समय सीमा
1.	राजीव गांधी एडवेंचर योजना	शिविर	50 शिविर	8300000	दूसरी एवं तीसरी तिमाही
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए युवा उत्सव	उत्सव	1	1000000	तीसरी तिमाही
3.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन स्थापना दिवस/राट्रीय/ अन्तर्राट्रीय का आयोजन	दिवसों का आयोजन	6	1000000	कार्य योजना के अनुसार
4.	आवश्यकता पर आधारित विशेा कार्यक्रम	परियोजना	परियोजना प्रस्ताव के अनुसार	5000000	--
	कुल योग			**15300000**	

वार्षिक कार्ययोजना 2010 - 11 के कार्यान्वयन के लिए कुल बजट

स्तर	**कुल** (रू. में)
जिला	**482816000**
राज्य	**13384000**
राष्ट्रीय	**15300000**
कुल	**511500000**

(रूपये इक्यावन करोड़ पद्रह लाख केवल)